रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20022026-270340
CG-DL-E-20022026-270340

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 131] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 17, 2026/माघ 28, 1947
No. 131] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 17, 2026/MAGHA 28, 1947

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2026

सा.का.नि. 137(अ).— भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 (2024 का 16) की धारा 34 की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 18 जून, 2025 को सा.का.नि. 397 (अ) द्वारा वायुयान (खतरनाक माल का वहन) नियम, 2025 के प्रारूप को प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से इक्कीस दिनों की अवधि की समाप्ति से पूर्व इससे प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों से आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित किए जा सकें;

और उक्त प्रारूप नियम 18 जून, 2025 को जनता के लिए उपलब्ध कराए गए थे;

और, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया गया है;

अत: अब केन्द्रीय सरकार भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 (2024 का 16) की धारा 10, 11, 19, 20, 32 और 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वायुयान (खतरनाक माल का वहन) नियम, 2003 के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ.—— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (खतरनाक माल का वहन) नियम, 2026 है।

(2) जहां तक कि इन नियमों के उपबंधों में अन्यथा उपबंधित होने के सिवाय, ये निम्नलिखित पर लागू होते हैं —

(क) भारत में रजिस्ट्रीकृत वायुयानों या उस प्रचालक द्वारा प्रचालित वायुयानों पर, जिसके कारोबार का मुख्य स्थान अथवा स्थायी निवास भारत में है, चाहे वे कहीं भी हों; और

(ख) उन सभी वायुयानों पर जो तत्समय भारत में या भारत के ऊपर हों;

(ग) ऐसे व्यक्तियों पर जो भारत में भारत से भारत के अंदर या भारत के ऊपर वायु परिवहन सेवाओं का प्रचलन कर रहे हों और खतरनाक माल भेजने वालों पर या उनके अभिकर्ताओं पर; और

(घ) अभिहित डाक प्रचालक पर।

(3) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "अधिनियम" से भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 (2024 का 16) अभिप्रेत है;

(ख) "अभिकर्ता" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो वायुयान द्वारा खतरनाक माल के वहन के संबंध में, यथास्थिति, प्रचालक या माल भेजने वाला की ओर से प्रचालक अथवा माल भेजने वाला के दायित्वों का निर्वहन या कार्य करता है;

(ग) "सामान" से यात्रियों या कर्मीदल की वह निजी संपत्ति अभिप्रेत है जो प्रचालक से करार के आधार पर वायुयान पर वहन की जाती है;

(घ) "मालवाहक वायुयान" से ऐसा कोई वायुयान अभिप्रेत है, जो यात्री वायुयान के अतिरिक्त हो और जो माल या संपत्ति वहन कर रहा हो;

(ङ) "कर्मीदल सदस्य" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे एक उड़ान ड्यूटी अवधि के दौरान वायुयान पर ड्यूटी के लिए किसी प्रचालक द्वारा नियुक्त किया गया हो;

(च) "खतरनाक माल" से ऐसी वस्तुएं या पदार्थ अभिप्रेत हैं जो स्वास्थ्य, सुरक्षा, संपत्ति या पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न करने में सक्षम हों और जो तकनीकी अनुदेशों में ऐसे के रूप में सूचीबद्ध हों या जो तकनीकी अनुदेशों के अनुसार वर्गीकृत हों;

(छ) "खतरनाक माल दुर्घटना" से ऐसी घटना अभिप्रेत है जो वायुयान द्वारा खतरनाक माल के परिवहन से संबद्ध और संबंधित हो और जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को घातक या गंभीर चोट लगी हो या प्रमुख संपत्ति या पर्यावरण को क्षति हुई हो;

(ज) "खतरनाक माल घटना" से अभिप्रेत है,—

(i) खतरनाक माल दुर्घटना के अतिरिक्त कोई ऐसी घटना, जो वायुयान द्वारा खतरनाक माल के परिवहन से संबद्ध और संबंधित हो, जो आवश्यक रूप से वायुयान पर घटित न हुई हो, जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति, संपत्ति या पर्यावरण को चोट लगी हो, या आग लगी हो, टूट-फूट, द्रव का रिसाव या विकिरण हुआ हो या पैकेजिंग में दोष के कारण कोई घटना हुई हो; और

(ii) खतरनाक माल के परिवहन के कारण हुई कोई ऐसी घटना जिससे वायुयान या उसके अधिभोगियों को गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ हो;

(झ) "अभिहित डाक प्रचालक" से कोई सरकारी या गैर-सरकारी इकाई अभिप्रेत है जिसे किसी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन सदस्य देश द्वारा डाक सेवाएं संचालित करने और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कन्वेंशन के अधिनियमों से उत्पन्न संबंधित दायित्वों का निर्वहन करने के लिए आधिकारिक रूप से नामित किया गया हो;

(ञ) "महानिदेशक" से नागर विमानन महानिदेशक अभिप्रेत है;

(ट) "छूट" से ऐसा अनुमोदन अभिप्रेत है जो उपांतों और तकनीकी अनुदेशों में निहित उपबंधों से राहत प्रदान करने वाले उचित राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा दी गई अनुमति के अतिरिक्त जारी किया गया हो;

(ठ) "उड़ान कर्मीदल सदस्य" से एक अनुज्ञप्ति प्राप्त कर्मीदल सदस्य अभिप्रेत है जिसे उड़ान ड्यूटी अवधि के दौरान वायुयान के प्रचालन के लिए आवश्यक कर्तव्यों का दायित्व सौंपा गया हो;

(ड) "अन्वेषण" से दुर्घटना की रोकथाम के उद्देश्य से संचालित एक प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें सूचनाओं का संग्रह और विश्लेषण, निष्कर्ष निकालना, जिसमें कारणों, योगदान कारकों का निर्धारण और, जब उचित हो, सुरक्षा संबंधी सिफारिशें करना शामिल है;

(ढ) "डाक" से पत्राचार और अन्य वस्तुओं के डिस्पैच अभिप्रेत हैं जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के नियमों के अनुसार डाक सेवाओं द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं और उन्हें डाक सेवाओं को वितरण के लिए अभिप्रेत किया जाता है;

(ण) "प्रचालक" से ऐसा व्यक्ति, संगठन या उद्यम अभिप्रेत है जो वायुयान प्रचालन में संलग्न है या संलग्न होने का प्रस्ताव देता है;

(त) "ओवरपैक" से एकल माल भेजने वाला द्वारा एक या अधिक पैकेजों को रखने और उठाई-धराई एवं भरण की सुविधा के लिए एक उठाई-धराई इकाई बनाने हेतु उपयोग किया जाने वाला आवरण अभिप्रेत है;

(थ) "पैकेज" से पैकिंग कार्य का संपूर्ण उत्पाद अभिप्रेत है जिसमें परिवहन के लिए तैयार पैकेजिंग और उसकी सामग्री शामिल हो;

(द) "पैकेजिंग" से पात्र और पात्र की निरोधक कार्य करने की क्षमता के लिए आवश्यक अन्य घटक या सामग्री अभिप्रेत है;

(ध) "यात्री वायुयान" से ऐसा वायुयान अभिप्रेत है जो कर्मीदल सदस्य, आधिकारिक क्षमता में प्रचालक का कर्मचारी, उचित राष्ट्रीय प्राधिकरण का प्राधिकृत अधिकारी या परेषण या अन्य माल के साथ आने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को वहन करता हो;

(न) "समादेशन पायलट" से उस पायलट का अभिप्रेत है जिसे प्रचालक द्वारा, या जनरल एविएशन के मामले में स्वामी द्वारा, कमान में होने और उड़ान की सुरक्षित संचालन का दायित्व सौंपे जाने के लिए नामित किया गया हो;

(प) "गंभीर चोट" से ऐसी चोट अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति को किसी घटना में लगी हो और जो:

(i) अस्पताल में अड़तालीस घंटे से अधिक के भर्ती की आवश्यकता रखती हो, जो चोट प्राप्त होने की तारीख से सात दिनों के भीतर प्रारंभ हो; या

(ii) किसी भी अस्थि-भंग (उंगलियों, पैर की उंगलियों या नाक के साधारण अस्थि-भंग को छोड़कर) का परिणाम हो; या

(iii) ऐसे घाव से संबंधित हो जो गंभीर रक्तस्राव, तंत्रिका, मांसपेशी या पुट्ठा क्षति का कारण बने; या

(iv) किसी भी आंतरिक अंग को चोट से संबंधित हो; या

(v) दूसरी या तीसरी डिग्री के जलने, या शरीर की सतह के पांच प्रतिशत से अधिक को प्रभावित करने वाले किसी भी जलने से संबंधित हो; या

(vi) संक्रामक पदार्थों या हानिकारक विकिरण के सत्यापित संपर्क में आना शामिल हो;

(फ) "माल भेजने वाला" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो तकनीकी अनुदेशों में माल भेजने वाला के दायित्वों के लिए प्रदत्त किसी भी कार्य का निष्पादन करता है;

(ब) "महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट" से महानिदेशक द्वारा इन नियमों के अधीन जारी और नागर विमानन महानिदेशालय के सार्वजनिक डोमेन में रखे गए निर्देश अभिप्रेत हैं;

(भ) "उद्गम राज्य" से वह राज्य अभिप्रेत है जिसके राज्यक्षेत्र में खतरनाक माल के परेषण को पहली बार वायुयान पर लादा जाना हो;

(म) "गंतव्य राज्य" से वह राज्य अभिप्रेत है जिसके राज्यक्षेत्र में परेषण को अंततः वायुयान से उतारा जाना हो;

(य) "प्रचालक का राज्य" से वह राज्य अभिप्रेत है जिसमें प्रचालक का प्रधान कारोबार स्थित है या, यदि ऐसा कोई कारोबार नहीं है, तो प्रचालक का स्थायी निवास स्थित है;

(र) "तकनीकी अनुदेश" से अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन परिषद द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार समय-समय पर अनुमोदित और जारी किए गए, वायुयान द्वारा खतरनाक माल के सुरक्षित परिवहन के अनुदेश अभिप्रेत हैं;

(ल) "यूएन नंबर" से संयुक्त राष्ट्र के खतरनाक माल के परिवहन और रसायनों के वर्गीकरण एवं लेबलिंग के वैश्विक रूप से एकीकृत प्रणाली पर विशेषज्ञों की समिति द्वारा किसी वस्तु या पदार्थ या वस्तुओं या पदार्थों के किसी विशेष समूह की पहचान करने के लिए नियत किया गया चार-अंकीय नंबर अभिप्रेत है;

(व) "यूनिट लोड डिवाइस" से मालवाहक कंटेनर, वायुयान कंटेनर, नेट सहित वायुयान पैलेट या इग्लू पर नेट सहित वायुयान पैलेट के किसी भी प्रकार का अभिप्रेत है।

टिप्पण 1: इस परिभाषा में ओवरपैक शामिल नहीं है।

टिप्पण 2: इस परिभाषा में रेडियोधर्मी पदार्थ के लिए मालवाहक कंटेनर शामिल नहीं है।

(2) यहां प्रयुक्त किए गए किन्तु परिभाषित न किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का, और भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 (2024 का 16) में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का, वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम में उनके लिए निर्धारित किया गया है।

3. वायुयान द्वारा खतरनाक माल का वहन.—— (1) कोई भी प्रचालक खतरनाक माल के वहन में संलग्न नहीं होगा जब तक कि उसे प्रचालक के राज्य की वैमानिक प्राधिकरण द्वारा खतरनाक माल वहन करने के लिए प्रमाणित न किया गया हो:

परंतु यह कि जहां भी प्रचालक का राज्य भारत है, महानिदेशक, किसी प्रचालक को खतरनाक माल वहन करने के लिए प्रमाणित कर सकता है:

परंतु यह और भी कि जहां भी प्रचालक का राज्य भारत के अतिरिक्त अन्य है, ऐसा प्रमाणित प्रचालक महानिदेशक की पूर्व अनुमति के बिना भारत से या भारत को खतरनाक माल का वहन नहीं करेगा:

परंतु यह भी कि दूसरे परंतुक में निहित किसी बात के होते हुए भी, प्रमाणित प्रचालक भारत से या भारत को खतरनाक माल का वहन जारी रख सकता है बशर्ते कि इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से छह माह के भीतर महानिदेशक की अनुमति प्राप्त कर ली गई हो।

(2) कोई भी प्रचालक वहन नहीं करेगा और कोई भी व्यक्ति ऐसा करने का कारण नहीं बनेगा या किसी भी वायुयान द्वारा भारत से, भारत के भीतर, भारत को या भारत के ऊपर वहन करने की अनुमति नहीं देगा या ऐसे वायुयान पर लादने के लिए देगा या दिलवाएगा कोई खतरनाक माल, सिवाय तकनीकी अनुदेशों में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए:

परंतु यह कि विस्फोटक के रूप में वर्गीकृत खतरनाक माल किसी भी वायुयान द्वारा भारत से, भारत के भीतर, भारत को या भारत के ऊपर वहन नहीं किया जाएगा, सिवाय तकनीकी अनुदेशों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए:

परंतु यह और भी कि जहां रेडियोधर्मी पदार्थ के रूप में वर्गीकृत खतरनाक माल किसी वायुयान द्वारा भारत से, भारत को या भारत के भीतर वहन किया जाना है, वहां प्रचालक यह सुनिश्चित करेगा कि कंसाइनर या कंसाइनी, यथास्थिति, के पास परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) की धारा 16 के अधीन ऐसे माल के वहन हेतु केंद्र सरकार की लिखित सहमति है:

परंतु यह भी कि जहां राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संकट या प्राकृतिक आपदा जैसी अत्यंत आपात स्थिति या अन्यथा ऐसे माल के वायु द्वारा परिवहन की आवश्यकता हो और तकनीकी अनुदेशों में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं का पूर्ण अनुपालन लोकहित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है, वहां महानिदेशक या इस निमित्त केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, लिखित में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इन आवश्यकताओं का अनुपालन करने से छूट प्रदान कर सकता

है, बशर्ते कि वह संतुष्ट हो कि ऐसे माल के परिवहन में सुरक्षा के समग्र स्तर को प्राप्त करने का, जो तकनीकी अनुदेशों में विनिर्दिष्ट सुरक्षा स्तर के समतुल्य है, प्रत्येक प्रयास किया गया है।

(3) उप-नियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी, जहां भारत प्रचालक का राज्य या उद्गम राज्य है, महानिदेशक कुछ खतरनाक माल के वायु द्वारा परिवहन के लिए अनुमोदन प्रदान कर सकता है और जिनके लिए तकनीकी अनुदेश यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि ऐसे माल का किसी वायुयान पर या अन्य प्रयोजनों के लिए परिवहन उद्गम राज्य और प्रचालक के राज्य द्वारा उचित प्राधिकरण के अनुमोदन से अधिकृत होना चाहिए।

(4) उप-नियम (1), (2) और (3) के अधीन, यथास्थिति, प्रमाणन, अनुमति, छूट या अनुमोदन के लिए आवेदन, महानिदेशक को उसके द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में और उसके द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे विवरणों या दस्तावेजों के साथ, इन नियमों के अधीन निर्धारित फीस के साथ, किया जाएगा।

(5) उप-नियम (1) के अधीन दिया गया प्रमाणन या अनुमोदन, यथास्थिति, जब तक निलंबित या रद्द नहीं किया जाता, पांच वर्ष से अधिक नहीं की अवधि के लिए वैध रहेगा, जिसे एक समय में पांच वर्ष से अधिक नहीं की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।

(6) उप-नियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी, ऐसी वस्तुएं और पदार्थ जिन्हें तकनीकी अनुदेशों में नाम से या सामान्य विवरण द्वारा विशेष रूप से पहचाना गया है कि वे किसी भी परिस्थिति में वायु द्वारा परिवहन के लिए वर्जित हैं, किसी भी वायुयान पर वहन नहीं किए जाएंगे।

(7) उप-नियम (1) और (2) के उपबंध लागू नहीं होंगे —

(क) उन वस्तुओं और पदार्थों पर जो खतरनाक माल के रूप में वर्गीकृत हैं किन्तु अन्यथा प्रासंगिक उड़नयोग्यता अपेक्षाओं और प्रचालन विनियमों के अनुसार वायुयान पर रहने की अपेक्षित हैं, या ऐसे विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जिन्हें तकनीकी अनुदेशों में पहचाना गया है; और

(ख) यात्रियों या कर्मीदल सदस्यों द्वारा वहन किए गए विशिष्ट वस्तुओं और पदार्थों पर, जहां तक तकनीकी अनुदेशों में विनिर्दिष्ट है।

(8) जहां खतरनाक माल उप-नियम (2) के अधीन वहन किए जाते हैं, वहां माल भेजने वाला, प्रचालक और पहचान, वर्गीकरण, पैकिंग, चिह्नांकन, लेबलिंग, स्वीकृति, उठाई-धराई, लोडिंग, माल उतारना, भंडारण, परिवहन या ऐसे खतरनाक माल के वहन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी किसी भी अन्य प्रक्रिया से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह वायुयान या उस पर सवार व्यक्तियों या किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति को खतरे से बचाने के लिए सभी सावधानियां बरते।

4. अनधिकृत खतरनाक माल की अभिरक्षा.— जहां इस निमित्त केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि इन नियमों के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है या किया जाने वाला है, वह माल की प्रकृति की विस्तृत जांच या मामले में किए जाने वाले कार्रवाई, यदि कोई हो, के बारे में निर्णय की प्रतीक्षा में, प्रश्नगत खतरनाक माल को अपनी अभिरक्षा में रखवा सकता है।

5. खतरनाक माल का वर्गीकरण.— खतरनाक माल का वर्गीकरण तकनीकी अनुदेशों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

6. पैकिंग.— (1) इस नियम के उपबंधों के अतिरिक्त, खतरनाक माल की पैकिंग तकनीकी अनुदेशों में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार की जाएगी।

(2) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि खतरनाक माल के परिवहन के लिए उपयोग किए गए पैकेजिंग के बाहरी भाग से खतरनाक पदार्थ का कोई हानिकारक मात्रा न चिपकी रहे।

(3) वायुयान द्वारा खतरनाक माल के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले पैकेजिंग अच्छी गुणवत्ता के होंगे और उनका निर्माण एवं सुरक्षित रूप से बंद किया जाएगा ताकि परिवहन की सामान्य परिस्थितियों में तापमान, आर्द्रता या दबाव, या कंपन के परिवर्तनों के कारण होने वाले रिसाव को रोका जा सके।

(4) पैकेजिंग सामग्री के लिए उपयुक्त होंगे और खतरनाक माल के सीधे संपर्क में आने वाले पैकेजिंग ऐसे माल की किसी भी रासायनिक या अन्य क्रिया के प्रतिरोधी होंगे।

(5) पैकेजिंग तकनीकी अनुदेशों में निहित सामग्री और निर्माण विशिष्टताओं को पूरा करेंगे।

(6) पैकेजिंग का परीक्षण तकनीकी अनुदेशों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(7) जिन पैकेजिंग के लिए द्रव का धारण एक मूल कार्य है, वे तकनीकी अनुदेशों में विनिर्दिष्ट दबाव को, बिना लीक किए, सहन करने में सक्षम होंगे।

(8) खतरनाक माल के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले आंतरिक पैकेजिंग को इस प्रकार पैक, सुरक्षित या कुशन किया जाएगा कि कोई टूट-फूट या रिसाव न हो और ये वायु परिवहन की सामान्य परिस्थितियों में बाहरी पैकेजिंग के भीतर खतरनाक माल की गति को भी नियंत्रित करेंगे और साथ ही कुशनिंग और अवशोषक सामग्री पात्रों की सामग्री के साथ खतरनाक रूप से प्रतिक्रिया नहीं करेंगे।

(9) खतरनाक माल के परिवहन के लिए उपयोग किए गए किसी भी पैकेजिंग का पुन: उपयोग नहीं किया जाएगा, जब तक कि,—

(क) उसका निरीक्षण किया गया हो और वह जंग या अन्य क्षति से मुक्त पाया गया हो; और

(ख) बाद की सामग्री के संदूषण को रोकने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरती गई हों:

परंतु यह कि जहां पहले खतरनाक माल के परिवहन के लिए उपयोग किए गए पैकेजिंग को ठीक से साफ करना संभव नहीं है, वहां ऐसे असाफ खाली पैकेजिंग को उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए वायु द्वारा परिवहन किया जाएगा जो उस खतरनाक माल के परिवहन के लिए निर्धारित है जिसके लिए ऐसे पैकेजिंग का पहले उपयोग किया गया था।

7. लेबल लगाना.— जब तक कि तकनीकी अनुदेशों में अन्यथा उपबंधित न हो, खतरनाक माल के प्रत्येक पैकेज को तकनीकी अनुदेशों में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार लेबल लगाया जाएगा।

8. चिह्नांकन.— (1) जब तक कि तकनीकी अनुदेशों में अन्यथा उपबंधित न हो, खतरनाक माल के प्रत्येक पैकेज को उसकी सामग्री के उचित पोत परिवहन नाम से और, जब नियत किया गया हो, यूएन नंबर और उन अनुदेशों में विनिर्दिष्ट अन्य चिह्नांकन से अंकित किया जाएगा।

(2) जहां तक कि तकनीकी अनुदेशों में अन्यथा उपबंधित न हो, तकनीकी अनुदेशों की विशिष्टताओं के अनुसार निर्मित प्रत्येक पैकेजिंग को तकनीकी अनुदेशों के उपबंधों के अनुसार अंकित किया जाएगा और कोई अन्य पैकेजिंग इस प्रकार अंकित नहीं की जाएगी।

(3) उद्गम राज्य द्वारा अपेक्षित भाषाओं के अतिरिक्त, खतरनाक माल से संबंधित चिह्नांकन के लिए अंग्रेजी का उपयोग भी किया जाएगा।

9. माल भेजने वाले के दायित्व.— (1) कोई माल भेजने वाला या उसका अभिकर्ता वायु द्वारा परिवहन के लिए खतरनाक माल का कोई पैकेज या ओवरपैक प्रस्तावित नहीं करेगा जब तक कि उसने यह सुनिश्चित नहीं किया हो कि ऐसा खतरनाक माल वायु द्वारा परिवहन के लिए वर्जित नहीं है और उसे तकनीकी अनुदेशों में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार उचित रूप से पहचाना, वर्गीकृत, पैक, अंकित और लेबल किया गया है।

(2) जहां तक कि इन नियमों में अन्यथा उपबंधित न हो, कोई माल भेजने वाला या उसका अभिकर्ता वायु द्वारा परिवहन के लिए खतरनाक माल प्रस्तावित नहीं करेगा जब तक कि उसने तकनीकी अनुदेशों में विनिर्दिष्ट एक खतरनाक माल परिवहन दस्तावेज को पूरा, हस्ताक्षरित नहीं किया हो और प्रचालक को प्रदान नहीं किया हो।

(3) खतरनाक माल परिवहन दस्तावेज पर माल भेजने वाला या उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा होगी जो यह दर्शाती हो कि खतरनाक माल का उनके उचित पोत परिवहन नामों से पूर्ण और सटीक वर्णन किया गया है और वे तकनीकी अनुदेशों की आवश्यकताओं के अनुसार वर्गीकृत, पैक, अंकित, लेबल और वायु द्वारा परिवहन के लिए उचित स्थिति में हैं।

(4) उद्गम राज्य द्वारा आवश्यक भाषाओं के अतिरिक्त, खतरनाक माल परिवहन दस्तावेज में अंग्रेजी का भी उपयोग किया जाएगा।

(5) जहां महानिदेशक, माल भेजने वाला के दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहे माल भेजने वाला या उसके अभिकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद संतुष्ट होता है, वहां वह, लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, एक आदेश बना सकता है जो प्रचालक को निर्देशित करता हो कि वह ऐसे माल भेजने वाला या उसके अभिकर्ता से उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए माल स्वीकार न करे।

10. प्रचालक के दायित्व.—— (1) कोई भी प्रचालक वायु द्वारा परिवहन के लिए खतरनाक माल स्वीकार नहीं करेगा, जब तक कि, —

(क) खतरनाक माल के साथ एक पूर्ण खतरनाक माल परिवहन दस्तावेज न हो, सिवाय जहां तकनीकी अनुदेश यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि ऐसे दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है; और

(ख) खतरनाक माल वाले पैकेज, ओवरपैक या मालवाहक कंटेनर का तकनीकी अनुदेशों में विनिर्दिष्ट स्वीकृति प्रक्रियाओं के अनुसार निरीक्षण किया गया हो।

(2) प्रचालक यह सुनिश्चित करेगा कि तकनीकी अनुदेशों द्वारा आवश्यक एक स्वीकृति चेक-लिस्ट विकसित की गई है और स्वीकृति के लिए उपयोग की जा रही है।

(3) खतरनाक माल वाले पैकेज और ओवरपैक और रेडियोधर्मी पदार्थ वाले मालवाहक कंटेनर का रिसाव या क्षति के साक्ष्य के लिए वायुयान पर या यूनिट लोड डिवाइस में लादने से पहले निरीक्षण किया जाएगा और ऐसे पैकेज, ओवरपैक या मालवाहक कंटेनर को तकनीकी अनुदेशों में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार वायुयान पर लादा और रखा जाएगा।

(4) प्रचालक यह सुनिश्चित करेगा कि रिसने या क्षतिग्रस्त पैकेज, ओवरपैक या खतरनाक माल वाले मालवाहक कंटेनर वायुयान पर नहीं लादे जाएंगे।

(5) यूनिट लोड डिवाइस को वायुयान पर नहीं लादा जाएगा जब तक कि डिवाइस का निरीक्षण नहीं किया गया हो और उसमें निहित किसी भी खतरनाक माल से रिसाव या क्षति का कोई साक्ष्य नहीं मिला हो।

(6) जहां वायुयान पर लदे खतरनाक माल के किसी पैकेज के क्षतिग्रस्त या रिसने वाले होने का प्रतीत होता है, वहां प्रचालक ऐसे पैकेज को वायुयान से हटाएगा, या यथास्थिति, उचित प्राधिकरण या संगठन द्वारा उसे हटवाने का प्रबंध करेगा, और तत्पश्चात यह सुनिश्चित करेगा कि परेषण का शेष भाग वायु द्वारा परिवहन के लिए उचित स्थिति में है और कोई अन्य पैकेज संदूषित नहीं हुआ है।

(7) खतरनाक माल वाले पैकेज या ओवरपैक और रेडियोधर्मी पदार्थ वाले मालवाहक कंटेनर का वायुयान या यूनिट लोड डिवाइस से माल उतारना पर क्षति या रिसाव के लक्षणों के लिए निरीक्षण किया जाएगा और यदि क्षति या रिसाव का साक्ष्य मिलता है, तो उस क्षेत्र का जहां वायुयान पर खतरनाक माल या यूनिट लोड डिवाइस रखे गए थे, क्षति या संदूषण के लिए निरीक्षण किया जाएगा।

(8) किसी भी खतरनाक माल को यात्रियों द्वारा अधिभोग किए गए वायुयान के केबिन में या वायुयान के फ्लाइट डेक पर नहीं वहन किया जाएगा, सिवाय नियम 3 के उप-नियम (7) में विनिर्दिष्ट उन माल के।

(9) खतरनाक माल के रिसाव या क्षति के परिणामस्वरूप वायुयान पर पाई जाने वाली किसी भी खतरनाक संदूषण को बिना किसी देरी के दूर किया जाएगा।

(10) जो वायुयान रेडियोधर्मी पदार्थों द्वारा संदूषित हो गया है, उसे तुरंत सेवा से बाहर लिया जाएगा और तब तक सेवा में वापस नहीं लौटाया जाएगा जब तक कि किसी भी सुलभ सतह पर विकिरण स्तर और गैर-स्थिर संदूषण तकनीकी अनुदेशों में विनिर्दिष्ट मूल्यों से अधिक नहीं हैं।

(11) ऐसे खतरनाक माल वाले पैकेज जो एक दूसरे के साथ खतरनाक रूप से प्रतिक्रिया कर सकते हैं, उन्हें वायुयान पर एक दूसरे के बगल में या ऐसी स्थिति में नहीं रखा जाएगा जो रिसाव की स्थिति में उनके बीच परस्पर क्रिया की अनुमति दे।

(12) विषैले और संक्रामक पदार्थों के पैकेज को तकनीकी अनुदेशों में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार वायुयान पर संग्रहीत किया जाएगा।

(13) रेडियोधर्मी पदार्थों के पैकेज को तकनीकी अनुदेशों में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार वायुयान पर इस प्रकार संग्रहीत किया जाएगा कि वे व्यक्तियों, जीवित जानवरों और अविकसित फिल्म से अलग हों।

(14) इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जब खतरनाक माल को वायुयान में लादा जाता है तो प्रचालक खतरनाक माल को क्षतिग्रस्त होने से बचाएगा और ऐसे माल को वायुयान में इस प्रकार सुरक्षित करेगा जो उड़ान के दौरान किसी भी गति को रोके जो पैकेजों के अभिविन्यास को बदल दे, और रेडियोधर्मी पदार्थ वाले पैकेजों के लिए सुरक्षा इतनी पर्याप्त होगी कि यह सुनिश्चित हो सके कि उप-नियम (13) की पृथक्करण आवश्यकताएं हर समय पूरी होती हैं।

(15) जहां तक कि तकनीकी अनुदेशों में अन्यथा उपबंधित न हो, "केवल मालवाहक वायुयान" लेबल वाले खतरनाक माल के पैकेज को इस प्रकार लादा जाएगा कि कर्मीदल सदस्य या अन्य प्राधिकृत व्यक्ति उड़ान के दौरान ऐसे पैकेजों को देख, हैंडल और, जहां आकार और वजन अनुमति दे, अन्य माल से अलग कर सके।

11. गलत घोषित या अघोषित खतरनाक माल.—— (1) प्रचालक या उसकी ओर से सामान, माल या डाक की स्वीकृति या उठाई-धराई के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करने वाला कोई अन्य व्यक्ति, यदि किसी गलत घोषित या अघोषित माल को देखता है या पाता है, तो महानिदेशक को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन रिपोर्ट में, अन्य ऐसी प्रासंगिक सूचना के अतिरिक्त, निम्नलिखित सूचनाएं भी शामिल होंगी, अर्थात:

(i) रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति या प्रचालक का नाम और पता;

(ii) माल भेजने वाला और उसके अभिकर्ता, यदि कोई हो, का नाम और पता;

(iii) गलत घोषित या अघोषित खतरनाक माल के पता लगने की तारीख और स्थान;

(iv) खतरनाक माल का वर्ग या विभाग उसके उचित पोत परिवहन नाम और ऐसे खतरनाक माल की मात्रा के साथ।

(3) रिपोर्ट प्राप्त होने पर महानिदेशक, यदि आवश्यक समझे, गलत घोषित या अघोषित खतरनाक माल के कारणों का निर्धारण करने के लिए एक अन्वेषण का आदेश दे सकता है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए निवारक उपाय कर सकता है।

12. सूचना का प्रावधान.—— (1) जिस वायुयान में खतरनाक माल वहन किया जाना है, उसके प्रचालक द्वारा वायुयान के प्रस्थान से पहले यथासंभव लिखित में तकनीकी अनुदेशों द्वारा आवश्यक सूचना कमांडर पायलट को प्रदान की जाएगी।

(2) प्रचालक ऐसी सूचना प्रचालन निर्देशिका में प्रदान करेगा ताकि उड़ान कर्मीदल सदस्य को खतरनाक माल के परिवहन के संबंध में अपने दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम बनाया जा सके और खतरनाक माल से संबंधित आपात स्थिति उत्पन्न होने पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में निर्देश भी प्रदान करेगा।

(3) प्रचालक यह सुनिश्चित करेगा कि सूचना इस प्रकार प्रसारित की जाए कि यात्रियों को उन प्रकार के माल के बारे में चेतावनी दी जाए जिन्हें वे तकनीकी अनुदेशों में प्रदत्त के अनुसार वायुयान पर परिवहन करने से वर्जित हैं।

(4) वायु द्वारा खतरनाक माल के परिवहन में शामिल प्रचालक, माल भेजने वाला या अन्य संगठन अपने कार्मिकों को ऐसी सूचना प्रदान करेंगे ताकि वे खतरनाक माल के परिवहन के संबंध में अपने दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम हों और खतरनाक माल से संबंधित आपात स्थिति उत्पन्न होने पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में निर्देश भी प्रदान करेंगे।

(5) यदि उड़ान के दौरान आपात स्थिति उत्पन्न होती है, तो कमांडर पायलट यथास्थिति, जैसे ही स्थिति अनुमति दे, वायुयानक्षेत्र प्राधिकारियों की सूचना के लिए, उचित वायु यातायात सेवा इकाई को, वायुयान पर मौजूद किसी भी खतरनाक माल के बारे में, जैसा कि तकनीकी अनुदेशों में प्रदत्त है, सूचित करेगा।

(6) वायुयान दुर्घटना या गंभीर घटना की स्थिति में जहां माल के रूप में वहन किए गए खतरनाक माल शामिल हैं, वायुयान का प्रचालक दुर्घटना या गंभीर घटना का जवाब देने वाली आपातकालीन सेवाओं को, और यथाशीघ्र, प्रचालक के राज्य और जिस राज्य में दुर्घटना या गंभीर घटना हुई है, के उचित प्राधिकारियों को, वायुयान पर मौजूद खतरनाक माल के बारे में, जैसा कि कमांडर पायलट को दी गई लिखित सूचना पर दर्शाया गया है, बिना किसी देरी के सूचना प्रदान करेगा।

(7) वायुयान घटना की स्थिति में, खतरनाक माल को माल के रूप में वहन करने वाले वायुयान का प्रचालक, अनुरोध पर, घटना का जवाब देने वाली आपातकालीन सेवाओं को और जिस राज्य में घटना हुई है, के उचित प्राधिकरण को, वायुयान

पर मौजूद खतरनाक माल के बारे में, जैसा कि कमांडर पायलट को दी गई लिखित सूचना पर दर्शाया गया है, बिना किसी देरी के सूचना प्रदान करेगा।

13. निरीक्षण.— (1) महानिदेशक, या केंद्र सरकार द्वारा इस निमित्त लिखित में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, किसी भी उचित समय पर, उस स्थान में प्रवेश कर सकता है जहां पहुंच आवश्यक है और किसी भी सेवा, उपकरण, दस्तावेज और अभिलेख का निरीक्षण कर सकता है।

(2) प्रचालक, माल भेजने वाला, अभिहित डाक प्रचालक, प्रशिक्षण संस्थान और खतरनाक माल के वहन से संबंधित प्रत्येक अन्य व्यक्ति, ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति को वायुयान, भवन या किसी भी सुविधा के किसी भी हिस्से तक पहुंच की अनुमति देगा, जिसमें उपकरण, अभिलेख, दस्तावेज और कार्मिक शामिल हैं, और इन नियमों के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग या कर्तव्यों के निष्पादन में सहयोग करेगा।

(3) महानिदेशक, या उप-नियम (1) के अधीन प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, इन नियमों के अधीन कोई कार्य कर रही इकाई द्वारा कथित उल्लंघनों का अन्वेषण कर सकता है और ऐसे अन्वेषण के लिए, प्राधिकृत व्यक्ति उप-नियम (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

14. खतरनाक माल दुर्घटनाएं और घटनाएं.— (1) खतरनाक माल दुर्घटना या खतरनाक माल घटना, यथास्थिति, की स्थिति में, वायुयान का कमांडर पायलट और वायुयान या वायुयानक्षेत्र का प्रचालक, यथास्थिति, ऐसी दुर्घटना या घटना पर महानिदेशक को लिखित में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन रिपोर्ट में, किसी अन्य प्रासंगिक सूचना के अतिरिक्त, निम्नलिखित सूचनाएं शामिल होंगी, अर्थात:

(क) वायुयान का प्रकार, राष्ट्रीयता और पंजीकरण चिह्न;

(ख) वायुयान के स्वामी, प्रचालक और किरायेदार का नाम;

(ग) वायुयान के कमांडर पायलट का नाम;

(घ) उड़ान की प्रकृति और उद्देश्य;

(ङ) खतरनाक माल दुर्घटना या घटना की तारीख और समय;

(च) वह स्थान जहां दुर्घटना हुई;

(छ) वायुयान के प्रस्थान का अंतिम बिंदु और इच्छित लैंडिंग का अगला बिंदु;

(ज) वायुयान पर मौजूद खतरनाक माल का विवरण यथा उनका उचित पोत परिवहन नाम, यूएन नंबर, मात्रा आदि;

(झ) खतरनाक माल दुर्घटना या घटना का ज्ञात कारण;

(ञ) वायुयान पर मौजूद अन्य माल का विवरण;

(ट) वायुयान, अन्य संपत्ति और वायुयान पर सवार व्यक्तियों को ज्ञात क्षति की सीमा; और

(ठ) महानिदेशक द्वारा शामिल करने के लिए आवश्यक कोई अन्य सूचना।

(3) उप-नियम (1) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर महानिदेशक, यदि आवश्यक समझे, ऐसी दुर्घटना या घटना के कारणों का निर्धारण करने के लिए एक अन्वेषण का आदेश दे सकता है और ऐसी दुर्घटना या घटना की पुनरावृत्ति से बचने के लिए निवारक उपाय कर सकता है।

15. प्रशिक्षण की अपेक्षा.— (1) नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कार्मिक किसी भी कार्य को करने में सक्षम हैं जिसके लिए वे उत्तरदायी हैं, ऐसे कार्यों को करने से पहले उन्हें उनके उत्तरदायित्व के अनुरूप उचित प्रशिक्षण और मूल्यांकन प्रदान किया जाएगा।

(2) ऐसा प्रशिक्षण और मूल्यांकन किसी व्यक्ति के उस स्थिति में नियोजन के समय प्रदान किया जाएगा या सत्यापित किया जाएगा जिसमें वायुयान द्वारा खतरनाक माल का परिवहन शामिल हो और आवर्ती प्रशिक्षण,पूर्व प्रशिक्षण और मूल्यांकन के चौबीस मास के भीतर दिया जाएगा।

(3) उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन की वैधता अवधि प्रशिक्षण की अवधि के सफलतापूर्वक पूरा होने की तारीख से चौबीस माह की होगी।

(4) आवर्ती प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन संबंध में, प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन की वैधता की अवधि पिछले प्रशिक्षण और मूल्यांकन की वैधता समाप्ति माह से शुरू होगी, परन्तु कि आवर्ती प्रशिक्षण पिछले प्रशिक्षण और मूल्यांकन की वैधता से पहले तीन महीने की अवधि के भीतर सफलतापूर्वक पूरा हो गया है।

(5) उप-नियम (4) में विनिर्दिष्ट मामलों के अलावा अन्य मामलों में, आवर्ती प्रशिक्षण की वैधता की अवधि आवर्ती प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने की तारीख से प्रारंभ होगी।

16. प्रशिक्षण कार्यक्रम की स्थापना और अनुमोदन.— (1) प्रारंभिक और आवर्ती खतरनाक माल प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नलिखित द्वारा या उनकी ओर से स्थापित और अनुरक्षित किए जाएंगे, –

(क) खतरनाक माल भेजने वाले,जिनमें पैकर्स और भेजने वाले के दायित्व लेने वाले व्यक्ति या संगठन शामिल हैं;

(ख) प्रचालक ;

(ग) ग्राउंड हैंडलिंग अभिकरणों, जो ऑपरेटर की ओर से कार्गो को स्वीकार करने, संभालने, लोड करने, उतारने, स्थानांतरित करने या अन्य प्रोसेसिंग का कार्य करती हैं;

(घ) हवाई अड्डे पर स्थित ग्राउंड हैंडलिंग अभिकरणों, जो प्रचालक की ओर से यात्रियों के प्रोसेसिंग का कार्य करती हैं;

(ङ.) हवाई अड्डे पर स्थित न होने वाली अभिकरणों, जो प्रचालक की ओर से यात्रियों की जांच का कार्य करती हैं;

(च) माल भाड़ा अग्रेषणकर्ता;

(छ) यात्रियों और उनके सामान तथा कार्गो की सुरक्षा जांच में लगी एजेंसियां ; और

(ज) अभिहित डाक प्रचालक।

(2) प्रशिक्षण, प्रशिक्षित किए जाने वाले कार्मिकों के उत्तरदायित्वों के अनुरूप अपेक्षाओं में प्रदान किया जाएगा और ऐसे प्रशिक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित होगा, –

(क) साधारण उपबंधों से परिचित कराने के उद्देश्य से साधारण परिचय प्रशिक्षण;

(ख) विनिर्दिष्ट कार्य संबंधी प्रशिक्षण जिसमें उस कार्य को जिसके लिए वह व्यक्ति उत्तरदायी है, निहित अपेक्षाओं में विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान करना; और

(ग) सुरक्षा प्रशिक्षण जो खतरनाक माल के कारण उत्पन्न जोखिम, सुरक्षित कार्यनिष्पादन और आपातकाल में कार्रवाई करने की प्रक्रिया के लिए है:

परन्तु, अभिहित डाक प्रचालक के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण उनके उत्तरदायित्वों के अनुरूप होगा और पाठ्यक्रम की सामग्री विनिर्दिष्ट तकनीकी अनुदेशों के अनुसार होगी।

(3) किसी भारतीय प्रचालक, अभिहित डाक प्रचालक या भारत की किसी अन्य अभिकरण द्वारा स्थापित और अनुरक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम महानिदेशक द्वारा समीक्षा और अनुमोदन के अधीन होगा।

(4) किसी विदेशी प्रचालक द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए स्थापित और अनुरक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम को महानिदेशक द्वारा तभी वैध माना जा सकता है जब उसे इस साक्ष्य के प्रस्तुत किया जाए कि इसे ऑपरेटर के राज्य के नियामक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया है।

(5) उप-नियम (3) के अधीन अनुमोदन प्रदान करने के लिए महानिदेशक को आवेदन इन नियमों के अधीन निर्धारित शुल्क सहित ऐसे प्रारूप में दिया जाएगा तथा उसमें ऐसे विवरण या दस्तावेज होंगे, जो उनके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

(6) महानिदेशक या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा संतुष्ट होने पर, किसी संगठन को प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित करने या उसके क्रियान्वयन के लिए अनुमोदन दे सकेगा।

(7) जब तक निलंबित या रद्द न कर दिया जाए, उप-नियम (6) के अधीन प्रदान किया गया अनुमोदन दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए वैध नहीं रहेगा, जिसे एक बार में अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकेगा।

(8) महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से संगठन के प्रशिक्षण अभिलेखों का रखरखाव किया जाएगा तथा मांगे जाने पर महानिदेशक या उनके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे।

17. अनुमोदित प्रशिक्षण संगठन.— (1) 'प्रशिक्षण संगठन' से ऐसी विधिक इकाई निर्दिष्ट है जो वायुमार्ग द्वारा खतरनाक माल के सुरक्षित परिवहन में प्रवृत्त, यथास्थिति, इकाईयों या अभिकरणों के कर्मचारियों या उनके द्वारा नियोजित कार्मिकों के लिए खतरनाक माल विनियमों पर प्रशिक्षण आयोजित करने में शामिल है, जिससे वे अपने उत्तरदायित्वों के अनुरूप कुशलता प्राप्त करने में समर्थ हो सकें।

(2) प्रशिक्षण संगठन में अपेक्षित अवसंरचना, पर्याप्त सुविधाएं, पदधारक और अनुदेशक तथा मूल्यांकनकर्ता सहित अर्हता प्राप्त कार्मिक होने चाहिए, जैसा कि महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) अनुदेशक मूल्यांकनकर्ता और पदधारक के पास महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट अर्हताएं और अनुभव होना चाहिए।

(4) प्रशिक्षण संगठन अनुमोदन प्राप्त करने के लिए महानिदेशक को आवेदन इन नियमों के अधीन अवधारित शुल्क सहित ऐसे प्रारूप में करेगा जिसमें ऐसे विवरण या दस्तावेज होंगे, जो उनके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

(5) महानिदेशक, इस बात से समाधान होने पर कि प्रशिक्षण संगठन की स्थापना से संबंधित सभी अपेक्षाओं का अनुपालन कर लेने पर, प्रशिक्षण संगठन को अनुमोदन, अनुमोदन में विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों के अधीन प्रदान कर सकेगा।

(6) प्रशिक्षण संगठन का अनुमोदन, चार वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए वैध रहेगा, जब तक उसे निलंबित या रद्द न कर दिया जाए और समाधान होने पर महानिदेशक अनुमोदन को एक बार में चार वर्ष की अगली अधिकतम अवधि के लिए नवीनीकृत कर सकते हैं।

(7) प्रशिक्षण संगठन अपने अनुमोदन के कार्य-क्षेत्र से बाहर प्रशिक्षण प्रदान नहीं करेगा, जब तक कि महानिदेशक द्वारा उसके अनुमोदन के कार्य-क्षेत्र को विस्तारित नहीं कर दिया जाता।

(8) अनुमोदन के कार्य-क्षेत्र के विस्तार के लिए आवेदन इन नियमों के अंतर्गत अवधारित शुल्क सहित महानिदेशक को ऐसे प्रारूप में करेगा तथा उसमें ऐसे विवरण या दस्तावेज होंगे, जैसा कि उनके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा और महानिदेशक, इस बात से संतुष्ट होने पर कि विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन कर लिया गया है, जैसा उचित समझा जाए, कार्य-क्षेत्र के विस्तार के लिए अनुमोदन दे सकते हैं और इस प्रकार का कार्य-क्षेत्र का विस्तार वास्तविक स्वीकृति की वैधता की तारीख तक ही वैध होगा।

(9) संगठन के प्रशिक्षण अभिलेख का रिकॉर्ड महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट रीति से अनुरक्षित किया जाएगा तथा मांगे जाने पर महानिदेशक या उनके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(10) अनुमोदित प्रशिक्षण संगठन, जब भी आवश्यक हो, महानिदेशक की स्वीकृति के लिए उनके द्वारा निर्दिष्ट रीति और प्रक्रियाओं के अनुसार समय-समय पर अपने मैनुअल को संशोधित करेगा।

18. अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उतरदायी व्यक्ति.— भारत को, भारत से, भारत में हवाई मार्ग से खतरनाक माल के परिवहन में लगा प्रत्येक ऑपरेटर या व्यक्ति या इन नियमों के अधीन अनुमोदित प्रशिक्षण संगठन ऐसे व्यक्ति को इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अभिहित करेगा जो महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट अर्हता रखता हो।

19. शुल्क.— (1) निम्नलिखित शुल्क देय होंगे:

(क) नियम 3 के उप-नियम *(1)* और *(5)* के अंतर्गत खतरनाक माल के परिवहन के लिए प्रचालक का प्रमाणन और उसका नवीकरण, –

(i) अनुसूचित प्रचालक के लिए: प्रमाणन के लिए दो लाख रुपए और प्रमाणन के नवीनीकरण के लिए एक लाख रुपए

(ii) अनुसूचित प्रचालक से भिन्न प्रमाणन के लिए एक लाख रुपए और प्रमाणन के नवीनीकरण के लिए पचास हजार रुपए

(ख) नियम 3 के उप-नियम (1) और (5) के अंतर्गत भारत को,भारत से खतरनाक माल के परिवहन के लिए विदेशी प्रचालक को अनुमोदन: अनुमोदन के लिए दो लाख रुपए और अनुमोदन के नवीनीकरण के लिए एक लाख रुपए।

(ग) नियम 3 के उप-नियम (2) के प्रावधान के अंतर्गत चरम आपात स्थिति में छूट: प्रति छूट पच्चीस हज़ार रुपए

(घ) नियम 3 के उप-नियम (3) के अंतर्गत खतरनाक माल के परिवहन के लिए अनुमोदन प्रदान करना: पांच हजार रुपए

(ड.) (i) नियम 16 के उप-नियम (6) के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम को अनुमोदन प्रदान करना :

(क) पचास कर्मचारी: दस हजार रुपए

(ख) पचास से अधिक और दो सौ तक कर्मचारी: पच्चीस हजार रुपए

(ग) 200 से अधिक कर्मचारी: पचास हजार रुपए

(ii) नियम 16 के उप-नियम (6) के अंतर्गत अनुमोदन के नवीकरण के लिए शुल्क, उप खंड (i) के तहत देय शुल्क का पचास प्रतिशत होगा।

(च) नियम 17 के अंतर्गत प्रशिक्षण संगठन को अनुमोदन एवं उसका नवीनीकरण करना तथा मैनुअल में संशोधन को स्वीकृति प्रदान करना:

(i) प्रशिक्षण संगठन को अनुमोदन प्रदान करने के लिए: प्रति स्टेशन एक लाख रुपए

(ii) मैनुअल में संशोधन को स्वीकृति के लिए: पच्चीस हजार रुपए

(iii) प्रशिक्षण संगठन को अनुमोदन के नवीनीकरण के लिए: प्रति स्टेशन पचास हजार रुपए

(छ) नियम 17 के उप-नियम (8) के अंतर्गत कार्य-क्षेत्र का विस्तार: प्रति स्टेशन पचास हजार रुपए

(2) शुल्क का भुगतान महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में किया जाएगा।

20. महानिदेशक द्वारा निदेश.— (1) महानिदेशक, वैमानिक सूचना परिपत्रों और नागर विमानन अपेक्षाओं नाम के प्रकाशन के माध्यम से, पैकिंग, चिन्हांकन, लेबलिंग, स्वीकृति, हैंडलिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, भंडारण, प्रशिक्षण और वायुयान द्वारा खतरनाक माल के परिवहन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित अन्य कोई प्रक्रिया या कार्यवाही के बारे में विशेष निदेश जारी कर सकेगा, जो अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों से असंगत न हो।

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत नागर विमानन अपेक्षाओं के मसौदे को नागर विमानन महानिदेशालय की वेबसाइट पर तीस दिनों की अवधि के लिए अपलोड करने के बाद जारी किया जाएगा जिससे इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जा सकें:

परन्तु महानिदेशक, जनहित में तथा लिखित आदेश द्वारा, ऐसी आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने की अपेक्षा को समाप्त कर दें।

(3) उप-नियम (1) के अंतर्गत जारी प्रत्येक निदेश का अनुपालन उस व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा, जिन्हें ऐसा निदेश जारी किया गया है।

(4) महानिदेशक लिखित में साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी वायुयान या किसी वर्ग के वायुयान या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को इस नियम के अधीन नागर विमानन अपेक्षाओं नामक प्रकाशन में दिए गए निदेशों के अनुपालन से पूर्णतः या आंशिक रूप से, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, छूट दे सकेंगे।

21. अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र और अनुमोदन को रद्द या निलंबित करना.— जहां महानिदेशक या केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई अधिकारी सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् संतुष्ट हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने इन नियमों के उपबंधों या नियम 20 के अधीन जारी किसी निदेश का उल्लंघन किया है या उसका अनुपालन करने में असफल रहा है, वहां वह, कारणों को लिखित करके, इन नियमों या इस संबंध में अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत जारी किसी अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र या अनुमोदन पर कोई प्रतिबंध लगा सकता है या उसे निलंबित या रद्द कर सकता है।

22. अपील.— (1) कोई व्यक्ति, जो इन नियमों द्वारा किसी अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित आदेश से व्यथित है, अधिनियम की धारा 33 के उपबंधों के अनुसार अपील कर सकेगा।

(2) कोई अपील, प्रथम अपील अधिकारी या द्वितीय अपील अधिकारी को, यथास्थिति, इन नियमों से संबंधित अनुसूची के सहायक दस्तावेजों सहित प्ररूप 'क' में तथा महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट माध्यम से एक हजार रुपए के शुल्क के साथ की जा सकती है।

(3) संबंधित अपील अधिकारी आवेदक से कोई भी सूचना, रिकार्ड या अन्य दस्तावेज मांग सकता है, यदि उसे अपील के लिए आवश्यक समझा जाए।

(4) अपील अधिकारी अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्,जैसा वह उचित समझे, अपील आदेश की पुष्टि, संशोधन या उसे निरस्त करते हुए कारणों सहित स्पष्ट आदेश पारित कर सकता है।

(5) अपील अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने के बाद पारित ऐसे आदेश की प्रति अपीलकर्ता को जितना जल्दी व्यावहारिक हो, उपलब्ध कराई जाएगी।

23. अपराध.— किसी व्यक्ति जिसने इन नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है, वह अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (1) के अनुसार दंड का भागी होगा।

24. शास्ति का अधिरोपण.— (1) किसी व्यक्ति जिसने इन नियमों की अनुसूची में निर्दिष्ट किसी नियम का उल्लंघन किया है, उसे अधिनियम धारा 32 के उपबंधों के अनुसार शास्ति के भुगतान के लिए दायी होगा।

(2) शास्ति का निर्धारण, यथास्थिति, निर्दिष्ट अधिकारी या अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त अनुसूची में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

25. छूट देने की साधारण शक्ति.— केन्द्रीय सरकार अधिनियम की धारा 20 के उपबंधों के अनुसार किसी वायुयान या वायुयान के वर्ग या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को इन नियमों के पूर्णतः या आंशिक रूप से प्रचालन की, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, से छूट दे सकती है।

अनुसूची
(नियम 24 देखें)
शास्ति

1. उल्लंघन की गंभीरता के स्तर का वर्गीकरण और उसके लिए शास्ति: —

सारणी 1

क्रम सं.	गंभीरता स्तर (रुपए में)	व्यक्तिगत	संगठन(लघु)	संगठन (मध्यम)	संगठन (वृहत)
			पचास कर्मचारियों तक	पचास से अधिक और सौ कर्मचरियों तक	सौ से अधिक कर्मचारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	स्तर1	दस हजार	पचास हजार	पचत्तर हजार	एक लाख
2.	स्तर 2	बीस हजार	एक लाख	एक लाख पचास हजार	दो लाख पचास हजार
3.	स्तर 3	पचास हजार	दो लाख	तीन लाख	पांच लाख
4.	स्तर 4	पचत्तर हजार	तीन लाख	पांच लाख	दस लाख
5.	स्तर 5	एक लाख पचास हजार	पांच लाख	दस लाख	बीस लाख
6.	स्तर 6	तीन लाख	सात लाख पचास हजार	पंद्रह लाख	तीस लाख
7.	स्तर 7	पांच लाख	दस लाख	पच्चीस लाख	पचास लाख
8.	स्तर 8	दस लाख	बीस लाख	पैतीस लाख	सत्तर लाख
9.	स्तर 9	बीस लाख	पैतीस लाख	पचास लाख	पचासी लाख
10.	स्तर 10	पच्चीस लाख	पचास लाख	पचत्तर लाख	एक करोड़

टिप्पण: — (1) "व्यक्तिगत" से प्रकृत आदमी अभिप्रेत है।

(2) "संगठन" से किसी निगमित निकाय या व्यक्तियों के संघ अभिप्रेत हैं, चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं।

(3) "कर्मचारी" से संगठन द्वारा नियुक्त, नियोजित या तैनात व्यक्ति अभिप्रेत है, चाहे वह संविदा पर हो, अस्थायी हो या स्थायी हो।

2. नियम का उल्लंघन तथा उसकी गंभीरता का स्तर, यथास्थिति, नामित अधिकारियों या अपील अधिकारी द्वारा शास्ति राशि के निर्धारण के लिए।

सारणी 2

क्र.सं.	**उल्लंघन की प्रकृति**	**संबंधित नियम**	**उल्लंघन/अतिक्रमण/ अनुपालन न करने का गंभीरता स्तर**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1.	नियम 3 के उप-नियम (1) का अनुपालन न करना	नियम 3 का उप-नियम (1)	स्तर 10
2.	नियम 3 के उप-नियम (2) का उल्लंघन	नियम 3 का उप-नियम (2)	स्तर 8 तक

3.	नियम 3 के उप-नियम (6) का अनुपालन न करना	नियम 3 का उप-नियम (6)	स्तर 9
4.	नियम 3 के उप-नियम (8) का अनुपालन न करना	नियम 3 का उप-नियम (8)	स्तर 5
5.	नियम 5 का अनुपालन न करना	नियम 5	स्तर 6
6.	नियम 6 के उप-नियम (1) का अनुपालन न करना	नियम 6 का उप-नियम (1)	स्तर 6
7.	नियम 6 के उप-नियम (2) का अनुपालन न करना	नियम 6 का उप-नियम (2)	स्तर 5
8.	नियम 6 के उप-नियम (3) का अनुपालन न करना	नियम 6 का उप-नियम (3)	स्तर 6
9.	नियम 6 के उप-नियम (4) का अनुपालन न करना	नियम 6 का उप-नियम (4)	स्तर 4
10.	नियम 6 के उप-नियम (5) का अनुपालन न करना	नियम 6 का उप-नियम (5)	स्तर 6
11.	नियम 6 के उप-नियम (6) का अनुपालन न करना	नियम 6 का उप-नियम (6)	स्तर 6
12.	नियम 6 के उप-नियम (7) का अनुपालन न करना	नियम 6 का उप-नियम (7)	स्तर 7
13.	नियम 6 के उप-नियम (8) का अनुपालन न करना	नियम 6 का उप-नियम (8)	स्तर 6
14.	नियम 6 के उप-नियम (9) का उल्लंघन	नियम 6 का उप-नियम (9)	स्तर 8
15.	नियम 7 का अनुपालन न करना	नियम 7	स्तर 4
16.	नियम 8 के उप-नियम (1) का अनुपालन न करना	नियम 8 का उप-नियम (1)	स्तर 5
17.	नियम 8 के उप-नियम (2) का अनुपालन न करना	नियम 8 का उप-नियम (2)	स्तर 5
18.	नियम 9 के उप-नियम (1) का उल्लंघन	नियम 9 का उप-नियम (1)	स्तर 8
19.	नियम 9 के उप-नियम (2) का उल्लंघन	नियम 9 का उप-नियम (2)	स्तर 5
20.	नियम 9 के उप-नियम (3) का अनुपालन न करना	नियम 9 का उप-नियम (3)	स्तर 6
21.	नियम 10 के उप-नियम (1) का उल्लंघन	नियम 10 का उप-नियम (1)	स्तर 8 तक
22.	नियम 10 के उप-नियम (2) का अनुपालन न करना	नियम 10 का उप-नियम (2)	स्तर 2
23.	नियम 10 के उप-नियम (3) का अनुपालन न करना	नियम 10 का उप-नियम (3)	स्तर 5
24.	नियम 10 के उप-नियम (4) का अनुपालन न करना	नियम 10 का उप-नियम (4)	स्तर 6

25.	नियम 10 के उप-नियम (5) का अनुपालन न करना	नियम 10 का उप-नियम (5)	स्तर 5
26.	नियम 10 के उप-नियम (6) का अनुपालन न करना	नियम 10 का उप-नियम (6)	स्तर 7
27.	नियम 10 के उप-नियम (7) का अनुपालन न करना	नियम 10 का उप-नियम (7)	स्तर 5
28.	नियम 10 के उप-नियम (8) का उल्लंघन	नियम 10 का उप-नियम (8)	स्तर 6 तक
29.	नियम 10 के उप-नियम (9) का अनुपालन न करना	नियम 10 का उप-नियम (9)	स्तर 6
30.	नियम 10 के उप-नियम (10) का अनुपालन न करना	नियम 10 का उप-नियम (10)	स्तर 8
31.	नियम 10 के उप-नियम (11) का अनुपालन न करना	नियम 10 का उप-नियम (11)	स्तर 6
32.	नियम 10 के उप-नियम (12) का अनुपालन न करना	नियम 10 का उप-नियम (12)	स्तर 7
33.	नियम 10 के उप-नियम (13) का अनुपालन न करना	नियम 10 का उप-नियम (13)	स्तर 8
34.	नियम 10 के उप-नियम (14) का अनुपालन न करना	नियम 10 का उप-नियम (14)	स्तर 6 तक
35.	नियम 10 के उप-नियम (15) का अनुपालन न करना	नियम 10 का उप-नियम (15)	स्तर 6
36.	नियम 11 के उप-नियम (1) का अनुपालन न करना	नियम 11 का उप-नियम (1)	स्तर 4
37.	नियम 12 के उप-नियम (1) का अनुपालन न करना	नियम 12 का उप-नियम (1)	स्तर 7
38.	नियम 12 के उप-नियम (2) का अनुपालन न करना	नियम 12 का उप-नियम (2)	स्तर 6
39.	नियम 12 के उप-नियम (3) का अनुपालन न करना	नियम 12 का उप-नियम (3)	स्तर 6

40.	नियम 12 के उप-नियम (4) का अनुपालन न करना	नियम 12 का उप-नियम (4)	स्तर 6
41.	नियम 12 के उप-नियम (5) का अनुपालन न करना	नियम 12 का उप-नियम (5)	स्तर 4
42.	नियम 12 के उप-नियम (6) का अनुपालन न करना	नियम 12 का उप-नियम (6)	स्तर 5
43.	नियम 12 के उप-नियम (7) का अनुपालन न करना	नियम 12 का उप-नियम (7)	स्तर 5
44.	नियम 13 के उप-नियम (2) का अनुपालन न करना	नियम 13 का उप-नियम (2)	स्तर 6 तक
45.	नियम 14 के उप-नियम (1) का अनुपालन न करना	नियम 14 का उप-नियम (1)	स्तर 4
46.	नियम 14 के उप-नियम (2) का अनुपालन न करना	नियम 14 का उप-नियम (2)	स्तर 2
47.	नियम 15 के उप-नियम (1) का उल्लंघन	नियम 15 का उप-नियम (1)	स्तर 1
48.	नियम 15 के उप-नियम (2) का अनुपालन न करना	नियम 15 का उप-नियम (2)	स्तर 2
49.	नियम 16 के उप-नियम (1) का अनुपालन न करना	नियम 16 का उप-नियम (1)	स्तर 1
50.	नियम 16 के उप-नियम (8) का अनुपालन न करना	नियम 16 का उप-नियम (8)	स्तर 2
51.	नियम 17 के उप-नियम (2) का अनुपालन न करना	नियम 17 का उप-नियम (2)	स्तर 4
52.	नियम 17 के उप-नियम (7) का अनुपालन न करना	नियम 17 का उप-नियम (7)	स्तर 3
53.	नियम 17 के उप-नियम (9) का अनुपालन न करना	नियम 17 का उप-नियम (9)	स्तर 3
54.	नियम 17 के उप-नियम (10) का अनुपालन न करना	नियम 17 का उप-नियम (10)	स्तर 2

55.	नियम 18 का अनुपालन न करना	नियम 18	
56.	नियम 20 के अंतर्गत जारी निदेशों का अनुपालन न करना	नियम 20 का उप-नियम (3)	स्तर 6 तक। समान उल्लंघन के लिए यदि किसी नियम में पहले से ही शास्ति का उपबंध किया गया है तो उस नियम के लिए विनिर्दिष्ट शास्ति लागू होगी।

3. अभिहित/अपीलीय अधिकारियों द्वारा शास्ति के न्यायनिर्णय की प्रक्रिया, –

(क) अभिहित अधिकारी जब इस बात से संतुष्ट हो जाए कि उपरोक्त पैरा 2 के अधीन किसी व्यक्ति ने सारणी 2 में विनिर्दिष्ट किसी नियम का उल्लंघन किया गया है तो वह ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात लिखित आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति पर क्रमशः पैरा 1 और 2 के अंतर्गत सारणी 1 और 2 के अनुसार शास्ति अधिरोपित कर सकता है, जिसमें उल्लंघन की प्रकृति, उल्लंघन किए गए नियमों के उपबंध तथा डिमांड नोटिस के साथ शास्ति के कारणों का भी उल्लेख किया गया होगा।

(ख) अभिहित अधिकारी किसी व्यक्ति पर शास्ति नहीं लगाएगा, जहां यह उसके संज्ञान में आता है कि अधिनियम और इन नियमों के अधीन उसी प्रकार के उल्लंघन के लिए उसी नियम के अधीन कार्रवाई शुरू की गई है।

(ग) अभिहित अधिकारी द्वारा डिमांड नोटिस के साथ पारित शास्ति आदेश की एक प्रति ऐसे व्यक्ति को मान्यताप्राप्त सेवा पद्धति द्वारा दी जाएगी।

(घ) खंड (क) के अधीन जारी आदेश से व्यथित व्यक्ति इन नियमों के नियम 21 के उपबंधों के अनुसार अपील कर सकेगा।

(ङ) अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित अपीलीय आदेश की प्रति अपीलकर्ता एवं संबंधित अभिहित अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी।

(च) अभिहित अधिकारी, अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित ऐसे अंतिम आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर, उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध आदेश पारित किया गया है, आदेश में लगाए गए शास्ति की राशि के लिए संशोधित डिमांड नोटिस जारी करके आदेश लागू करेगा।

(छ) इस प्रकार से अधिरोपित शास्ति का भुगतान उस व्यक्ति द्वारा डिमांड नोटिस प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर महानिदेशक द्वारा निर्धारित रीति से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।

(ज) यदि वह व्यक्ति, जिस पर शास्ति अधिरोपित की गई है, डिमांड नोटिस में निर्धारित समय के भीतर शास्ति की राशि का भुगतान करने में असफल रहता है तो इन नियमों के अधीन या इस संबंध में अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन, यथास्थिति हो, किसी भी अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र, अनुज्ञा, परमिट या अनुमोदन को रद्द करने या निलंबित करने की कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

प्रपत्र क **(नियम 22 देखें)** **अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील का प्रपत्र (प्रथम/द्वितीय)**		
1.	अपीलकर्ता का नाम	
2.	पता	
3.	ईमेल पता	
4.	दूरभाष सं.	
5.	आदेश संख्या तारीख सहित जिसके लिए अपील प्रस्तुत की गई है (आदेश की प्रति संलग्न करें)	
6.	उस अधिकारी का नाम और पदनाम जिसके द्वारा आदेश पारित किया गया है	
7.	नियमों का उल्लंघन जिसके लिए आदेश पारित किया गया	
8.	आदेश का प्रभावी भाग	
9.	वह तारीख जिस दिन अपीलकर्ता को आदेश की प्रति प्राप्त हुई	
10.	30 दिन की समय सीमा अवधि पूरी होने की तारीख	
11.	मामले से संबंधित संक्षिप्त तथ्य	
12.	अपील का आधार	
13.	अपीलकर्ता की अपील	
14.	शुल्क और लेनदेन विवरण	
15.	सहायक दस्तावेजों के साथ अन्य विवरण,यदि कोई हो	

सत्यापन

मैं_____, अपीलकर्ता, यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर जो कुछ कहा गया है वह मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

अपीलकर्ता का नाम और हस्ताक्षर

तारीख:
स्थान:

[फा. सं. एवी-11012/4/2025-डीजी अनुभाग- एम.ओ.सी.ए]

शोभित गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2026

G.S.R. 137(E).—Whereas, the draft of the Aircraft (Carriage of Dangerous Goods) Rules, 2025, was published, as required by section 34 of the Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024 (16 of 2024), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 18th June 2025, vide number G.S.R. 397(E), for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of twenty one days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the said draft rules were made available to the public on the 18th June, 2025;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in response to the said draft rules within the period specified have been taken into consideration;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 10, 11,19, 20, 32 and 33 of the Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024 (16 of 2024) and in supersession of the Aircraft (Carriage of Dangerous Goods) Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely: —

1. Short title, application and commencement. — (1) These rules may be called the Aircraft (Carriage of Dangerous Goods) Rules, 2026.

(2) Save as otherwise provided, the provisions of these rules shall apply –

(a) to aircraft registered in India or aircraft operated by an operator who has his principal place of business or permanent place of residence in India, wherever they may be;

(b) to all aircraft for the time being in or over India;

(c) to persons operating air transport services to, from, within and over India, shippers of dangerous goods or their agents; and

(d) designated postal operator.

(3) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. — (1) In these rules, unless the context otherwise requires, --

(a) "Adhiniyam" means the Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024 (16 of 2024);

(b) "agent" means any person that undertakes the responsibilities or carries out any of the function of an

operator or a shipper, as the case may be, on behalf of the operator or shipper in relation to carriage of dangerous goods by air;

(c) "baggage" means personal property of passengers or crew carried on an aircraft by agreement with the operator;

(d) "cargo aircraft" means any aircraft, other than a passenger aircraft, which is carrying goods or property;

(e) "crew member" means a person assigned by an operator to duty on an aircraft during a flight duty period;

(f) "dangerous goods" means articles or substances which are capable of posing a hazard to health, safety, property or the environment and which are listed as such in the Technical Instructions or which are classified according to the Technical Instructions;

(g) "dangerous goods accident" means an occurrence associated with and related to the transport of dangerous goods by air, which results in fatal or serious injury to a person or damage to major property or environment;

(h) "dangerous goods incident" means, –

(i) an occurrence, other than a dangerous goods accident, associated with and related to the transport of dangerous goods by air, not necessarily occurring on board an aircraft, which results in injury to a person, property or environment, or fire, breakage, spillage, leakage of fluid or radiation or any incident occurred due to defect in packaging; and

(ii) an incident occurred due to the transport of dangerous goods which seriously jeopardises the aircraft or its occupants

(i) "designated postal operator" means any governmental or non- governmental entity officially designated by a Universal Postal Union member country to operate postal services and to fulfil the related obligations arising from the acts of the Universal Postal Union Convention on its territory;

(j) "Director General" means Director General of Civil Aviation;

(k) "exemption" means an authorisation issued, other than an approval granted by an appropriate national authority providing relief from the provisions contained in the Annexes and the Technical Instructions;

(l) "flight crew member" means a licensed crew member charged with duties essential to the operation of an aircraft during a flight duty period;

(m) "investigation" means a process conducted for the purpose of the prevention of the accident which includes the gathering and analysis of information, the drawing of conclusions, including the determination of causes, contributing factors and, when appropriate, the making of safety recommendations;

(n) "mail" means dispatches of correspondence and other items tendered by, and intended for delivery to, postal services in accordance with the rules of the Universal Postal Union;

(o) "operator" means a person, organisation or enterprise engaged in or offering to engage in an aircraft operation;

(p) "overpack" means an enclosure used by a single shipper to contain one or more packages and to form one handling unit for convenience of handling and stowage;

(q) "package" means the complete product of the packing operation consisting of the packaging and its contents prepared for transport;

(r) "packaging" means receptacles and any other components or materials necessary for the receptacle to perform its containment function;

(s) "passenger aircraft" means an aircraft that carries any person other than a crew member, an operator's employee in an official capacity, an authorised representative of an appropriate national authority or a person accompanying a consignment or other cargo;

(t) "pilot-in-command" means the pilot designated by the operator, or in the case of general aviation by the owner, as being in command and charged with the safe conduct of a flight;

(u) "serious injury" means an injury which is sustained by a person in an occurrence and which:

(i) requires hospitalization for more than forty-eight hours, commencing within seven days from the date the injury was received; or

(ii) results in a fracture of any bone (except simple fractures of fingers, toes or nose); or

(iii) involves lacerations which cause severe haemorrhage, nerve, muscle or tendon damage; or

(iv) involves injury to any internal organ; or

(v) involves second- or third-degree burns, or any burns affecting more than five per cent of the body surface; or

(vi) involves verified exposure to infectious substances or injurious radiation;

(v) “shipper” means a person who performs any of the functions provided for shipper’s responsibilities in the Technical Instructions;

(w) “specified by the Director General” means the directions issued by the Director General under these rules and placed in public domain of the Directorate General of Civil Aviation;

(x) “State of origin” means the State in the territory of which the consignment of dangerous goods is first to be loaded on an aircraft;

(y) “State of destination” means the State in the territory of which the consignment is finally to be unloaded from an aircraft;

(z) "State of the operator" means the State in which the operator's principal place of business is located or, if there is no such place of business, the operator's permanent place of residence;

(za) “Technical Instructions” means the instructions for the safe transport of dangerous goods by air, approved and issued periodically in accordance with the procedure established by the International Civil Aviation Organisation Council;

(zb) "UN number" means the four-digit number assigned by the United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods and on the Globally Harmonised System of Classification and Labeling of Chemicals to identify an article or substance or a particular group of articles or substances;

(zc) **"**Unit load device**"** means any type of freight container, aircraft container, aircraft pallet with a net or aircraft pallet with a net over an igloo.

Note 1: An overpack is not included in this definition.

Note 2: A freight container for radioactive material is not included in this definition.

(2) The words and expressions used herein but not defined, and defined in the Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024 (16 of 2024) shall have the same meaning as assigned to them in the said Adhiniyam.

3. Carriage of dangerous goods by air. — (1) No operator shall engage in the carriage of dangerous goods unless it has been certified by the aeronautical authority of the State of the operator to carry the dangerous goods:

Provided that wherever the State of operator is India, the Director General may, certify an operator for carriage of dangerous goods:

Provided further that wherever the State of operator is other than India, such certified operator shall not carry dangerous goods to, from India without prior approval of the Director General:

Provided also that nothing contained in the second proviso, certified operator may continue to carry dangerous goods to, from India provided that the approval of the Director General is obtained within six months from the date of commencement of these rules.

(2) No operator shall carry and no person shall cause or permit to be carried in any aircraft to, from, within or over India or deliver or cause to be delivered for loading on such aircraft any dangerous goods, except in accordance with and subject to the requirements specified in the Technical Instructions:

Provided that dangerous goods classified as explosives shall not be carried in any aircraft to, from, within or over India except in accordance with and subject to the terms and conditions of a permission in writing granted by the Central Government in accordance with the provision of rules made under the Adhiniyam:

Provided further that where dangerous goods classified as radioactive material are to be carried in any aircraft to, from or within India, the operator shall ensure that the consignor or the consignee, as the case may be, has written consent of the Central Government to carry such goods under section 16 of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962):

Provided also that where there is extreme emergency such as national or international crisis or natural calamities or otherwise necessitating transportation by air of such goods and full compliance with the requirements specified in the Technical Instructions may adversely affect the public interest, the Director General or any other officer authorised in this behalf by the Central Government may, by general or special order in writing, grant exemption from complying with these requirements provided that he is satisfied that every effort has been made to achieve an overall level of safety in the transportation of such goods which is equivalent to the level of safety specified in the Technical Instructions.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), wherever India is the State of operator or State of origin, the Director General may grant approval for transportation of certain dangerous goods by air and for which Technical Instructions specify that the transportation of such goods on an aircraft or for other purposes must be authorised by an approval of the appropriate authority by the State of origin and the State of operator.

(4) An application for certification, permission, exemption or approval under sub-rules (1), (2) and (3), as the case may be, shall be made to the Director General in the form and contains such particulars or documents as specified by him along with the fee determined under these rules.

(5) The certification or approval, as the case may be, granted under sub-rule (1) shall, unless suspended or cancelled, remain valid for a period not exceeding five years, which may be renewed for a period not exceeding five years at a time.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), the articles and substances that are specifically identified by name or by generic description in the Technical Instructions as being forbidden for transport by air under any circumstances, shall not be carried on any aircraft.

(7) The provisions of sub-rules (1) and (2) shall not apply to –

(a) the articles and substances classified as dangerous goods but otherwise required to be on board the aircraft in accordance with the pertinent airworthiness requirements and the operating regulations, or for such specialised purposes as are identified in the Technical Instructions.

(b) specific articles and substances carried by passengers or crew members to the extent specified in the Technical Instructions.

(8) Where dangerous goods are carried under sub-rule (2), it shall be the duty of the shipper, the operator and every person concerned with identification, classification, packing, marking, labelling, acceptance, handling, loading, unloading, storage, transportation or any other process connected directly or indirectly with carriage of such dangerous goods, to take all precautions to avoid danger to the aircraft or to the persons on board or to any other person or property.

4. Custody of unauthorised dangerous goods. — Where any officer authorised in this behalf by the Central Government has reason to believe that the provisions of these rules are, or are about to be contravened, he may cause the dangerous goods in question to be placed under his custody pending detailed examination of the nature of the goods or pending a decision regarding the action, if any, to be taken in the matter.

5. Classification of dangerous goods. — The dangerous goods shall be classified in accordance with the provisions of the Technical Instructions.

6. Packing. — (1) Dangerous goods shall be packed in accordance with the requirements specified in the Technical Instructions in addition to the provisions of this rule.

(2) It shall be ensured that no harmful quantity of a dangerous substance adheres to the outside of the packagings used for the transport of the dangerous goods.

(3) Packagings used for the transport of dangerous goods by air shall be of good quality and shall be constructed and securely closed so as to prevent leakage which might be caused in normal conditions of transport by changes in temperature, humidity or pressure, or by vibration.

(4) The packagings shall be suitable for the contents and the packagings in direct contact with dangerous goods shall be resistant to any chemical or other action of such goods.

(5) Packagings shall meet the material and construction specifications contained in the Technical Instructions.

(6) Packagings shall be tested in accordance with the provisions of the Technical Instructions.

(7) Packagings for which retention of a liquid is a basic function, shall be capable of withstanding, without leaking, the pressure specified in the Technical Instructions.

(8) Inner packagings used for the transport of the dangerous goods shall be packed, secured or cushioned in such a manner that no breakage or leakage shall be caused and these shall also control the movement of the dangerous goods within the outer packaging during normal conditions of air transport and also the cushioning and absorbent materials shall not react dangerously with the contents of the receptacles.

(9) No packaging used for the transport of the dangerous goods shall be re-used unless, –

(a) it has been inspected and found free from corrosion or other damage; and

(b) all necessary precautions have been taken to prevent contamination of subsequent contents:

Provided that where it is not possible to properly clean a packaging already used for the transport of dangerous goods, then such an uncleaned empty packaging shall be transported by air following the same procedure as laid down for the transport of the dangerous goods for which such packagings has been used earlier.

7. Labeling. — Unless otherwise provided in the Technical Instructions, each package of dangerous goods shall be labeled in accordance with the requirements specified in the Technical Instructions.

8. Marking. — (1) Save as otherwise provided in the Technical Instructions, each package of dangerous goods shall be marked with the proper shipping name of its contents and, when assigned, the UN number and such other markings as may be specified in those Instructions.

(2) Save as otherwise provided in the Technical Instructions, each packaging manufactured to the specifications of the Technical Instructions shall be marked in accordance with the provisions of the Technical Instructions and no other packagings shall be so marked.

(3) In addition to the languages required by the State of origin, English shall also be used for the markings related to dangerous goods.

9. Shipper's responsibilities. — (1) No shipper or his agent shall offer any package or overpack of dangerous goods for transport by air unless he has ensured that such dangerous goods are not forbidden for transport by air and are properly identified, classified, packed, marked and labeled in accordance with the requirements specified in the Technical Instructions.

(2) Unless otherwise provided in these rules, no shipper or his agent shall offer dangerous goods for transport by air unless he has completed, signed and provided to the operator a dangerous goods transport document, as specified in the Technical Instructions.

(3) The dangerous goods transport document shall bear a declaration signed by the shipper or his agent indicating that the dangerous goods are fully and accurately described by their proper shipping names and that they are classified, packed, marked, labeled and in proper condition for transport by air as per requirements of the Technical Instructions.

(4) In addition to the languages required by the State of origin, English shall also be used in the dangerous goods transport document.

(5) Where the Director General is satisfied, after giving an opportunity of being heard to the shipper or his agent who has failed to discharge the shipper's responsibility, he may, for reasons to be recorded in writing, make an order directing operator not to accept the cargo from such shipper or his agent for a period specified in the said order.

10. Operator's responsibilities. — (1) No operator shall accept dangerous goods for transport by air unless, –

(a) the dangerous goods are accompanied by a completed dangerous goods transport document, except where the Technical Instructions specify that such a document is not required; and

(b) the package, overpack or freight container containing the dangerous goods has been inspected in accordance with the acceptance procedures specified in the Technical Instructions.

(2) The operator shall ensure that an acceptance check-list as required by the Technical Instructions has been developed and is being used for acceptance.

(3) Packages and overpacks containing dangerous goods and freight containers containing radioactive materials shall be inspected for evidence of leakage or damage before loading on an aircraft or into a unit load device and such packages, overpacks or freight containers shall be loaded and stowed on an aircraft in accordance with the requirements specified in the Technical Instructions.

(4) The operator shall ensure that no leaking or damaged packages, overpacks or freight containers containing dangerous goods shall be loaded on an aircraft.

(5) A unit load device shall not be loaded aboard an aircraft unless the device has been inspected and found free from any evidence of leakage from, or damage to, any dangerous goods contained therein.

(6) Where any package of dangerous goods loaded on an aircraft appears to be damaged or leaking, the operator shall remove such package from the aircraft, or arrange for its removal by an appropriate authority or organisation, as the case may be, and thereafter shall ensure that the remainder of the consignment is in a proper condition for transport by air and that no other package has been contaminated.

(7) Packages or overpacks containing dangerous goods and freight containers containing radioactive materials shall be inspected for signs of damage or leakage upon unloading from the aircraft or unit load device and if evidence of damage or leakage is found, the area where the dangerous goods or unit load device were stowed on the aircraft shall be inspected for damage or contamination.

(8) No dangerous goods shall be carried in an aircraft cabin occupied by passengers or on the flight deck of an aircraft, except those specified in sub-rule (7) of rule 3.

(9) Any hazardous contamination found on an aircraft as a result of leakage or damage to dangerous goods shall be removed without delay.

(10) An aircraft which has been contaminated by radioactive materials shall immediately be taken out of service and not returned to service until the radiation level at any accessible surface and the non-fixed contamination are not more than the values specified in the Technical Instructions.

(11) Packages containing dangerous goods which might react dangerously with one another shall not be stowed on an aircraft next to each other or in a position that would allow interaction between them in the event of leakage.

(12) Packages of toxic and infectious substances shall be stowed on an aircraft in accordance with the requirements specified in the Technical Instructions.

(13) Packages of radioactive materials shall be stowed on an aircraft so that they are separated from persons, live animals and undeveloped film, in accordance with the requirements specified in the Technical Instructions.

(14) Subject to the provisions of these rules, when dangerous goods are loaded in an aircraft, the operator shall protect the dangerous goods from being damaged, and shall secure such goods in the aircraft in such a manner that shall prevent any movement in flight which would change the orientation of the packages and for packages containing radioactive materials, the securing shall be adequate to ensure that the separation requirements of sub-rule (13) are met at all times.

(15) Except as otherwise provided in the Technical Instructions, packages of dangerous goods bearing the "Cargo aircraft only" label shall be loaded in such a manner that a crew member or other authorised person may see, handle and, where size and weight permit, separate such packages from other cargo in flight.

11. Mis-declared or undeclared dangerous goods. — (1) The operator or any other person directly or indirectly acting on his behalf for the acceptance or handling of baggage, cargo or mail, if notices or finds any mis-declared or undeclared goods, shall submit a report to the Director General.

(2) The report under sub-rule (1), in addition to such other relevant information, shall also contain the following information, namely:

(i) the name and address of person or operator reporting;
(ii) the name and address of the shipper and his agent, if any;
(iii) date and location of detection of mis-declared or undeclared dangerous goods;
(iv) class or division of dangerous goods with the proper shipping name and quantity of such dangerous goods.

(3) On receipt of the report the Director General shall, if considered necessary, order an investigation to determine the causes of mis-declared or un-declared dangerous goods and take preventive measures to avoid reoccurrence of such occurrences.

12. Provision of information. — (1) The operator of the aircraft in which dangerous goods are to be carried shall provide information in writing to the pilot-in-command as early as practicable before departure of the aircraft as required by the Technical Instructions.

(2) The operator shall provide such information in the Operations Manual so as to enable the flight crew member to carry out their responsibilities with regard to the transport of dangerous goods and shall also provide instructions as to the action to be taken in the event of emergencies arising involving dangerous goods.

(3) The operators shall ensure that information is promulgated in such a manner that passengers are warned as to the types of goods which they are forbidden from transporting aboard an aircraft as provided in the Technical Instructions.

(4) The operators, shippers or other organisations involved in the transport of dangerous goods by air shall provide such information to their personnel so as to enable them to carry out their responsibilities with regard to the transport of dangerous goods and shall also provide instructions as to the action to be taken in the event of emergencies arising involving dangerous goods.

(5) If an in-flight emergency occurs, the pilot-in-command shall, as soon as the situation permits, inform the appropriate air traffic services unit, for the information of aerodrome authorities, of any dangerous goods on board the aircraft, as provided in the Technical Instructions.

(6) In the event of an aircraft accident or a serious incident where dangerous goods carried as cargo are involved, the operator of the aircraft shall provide information, without delay, to the emergency services responding to the accident or serious incident, and, as soon as possible, to the appropriate authorities of the State of the operator and the State in which the accident or serious incident occurred, about the dangerous goods on board, as shown on the written information to the pilot-in- command.

(7) In the event of an aircraft incident, the operator of an aircraft carrying dangerous goods as cargo shall, upon request, provide information, without delay, to the emergency services responding to the incident and also to the appropriate authority of the State in which the incident occurred, about the dangerous goods on board, as shown on the written information to the pilot-in-command.

13. Inspection. — (1) The Director General, or any other person authorised by the Central Government in this behalf by a general or special order in writing may, at any reasonable time, enter any place to which access is necessary and inspect any services, equipment, documents and records with a view to ensuring compliance with the provisions of these rules.

(2) The operator, shipper, designated postal operator, training establishment and every other person concerned with carriage of dangerous goods shall allow the person so authorised, access to any part of the aircraft, building or any facility including equipment, records, documents and personnel, and shall co-operate in exercising his powers or carrying out his duties under these rules.

(3) The Director General, or any other person authorised under sub-rule (1), may carry out investigation into alleged violations by an entity performing any function under these rules and for such investigation, the authorised person may exercise the power under sub-rule (1).

14. Dangerous goods accidents and incidents. — (1) In the event of a dangerous goods accident or dangerous goods incident, as the case may be, the pilot-in- command of the aircraft and the operator of the aircraft or of the aerodrome, as the case may be, shall submit a report in writing to the Director General on such accident or incident.

(2) The report under sub-rule (1) shall, in addition to any other relevant information, contain the following information, namely:

(a) the type, nationality and registration marks of aircraft;
(b) the name of the owner, operator and hirer of the aircraft;
(c) the name of the pilot-in-command of the aircraft;
(d) the nature and purpose of the flight;
(e) the date and time of the dangerous goods accident or incident;
(f) the place where the accident occurred:
(g) the last point of departure and the next point of intended landing of the aircraft;
(h) the details of the dangerous goods on board the aircraft viz. their proper shipping name, UN number, quantity etc.;
(i) the known cause of the dangerous goods accident or incident;
(j) details of other cargo on board the aircraft;
(k) the extent of known damage to the aircraft, other property and persons on board the aircraft; and
(l) any other information required to be included by the Director General.

(3) On receipt of the report under sub−rule (1), the Director General may, if considered necessary, order an investigation to determine the causes of such accident or incident and take preventive measures to avoid re-occurrence of such accident or incident.

15. Requirement of training. — (1) The employer shall ensure that their personnel are competent to perform any function for which they are responsible prior to performing such functions through proper training and assessment commensurate with their responsibilities.

(2) The training and assessment shall be provided or verified upon the employment of a person in a position involving the transport of dangerous goods and recurrent training shall take place within twenty-four months of the previous training and assessment.

(3) The period of validity of the training and assessment referred to in sub-rule (2) shall be twenty-four months from the date of successful completion of the training.

(4) In case of the recurrent training and assessment, the period of validity of the training and assessment shall commence from the expiry month of the previous training and assessment subject to the condition that the recurrent training has been successfully completed within a period of not more than three months prior to the validity of the previous training and assessment.

(5) In cases other than those referred to in sub-rule (4), the period of validity of the recurrent training shall commence from the date of successful completion of the recurrent training.

16. Establishment and approval of training programme. — (1) Initial and recurrent dangerous goods training programmes shall be established and maintained by or on behalf of, –

(a) shippers of dangerous goods including packers and persons or organisations undertaking the responsibilities of the shipper;

(b) operators;

(c) ground handling agencies which perform, on behalf of the operator, the act of accepting, handling, loading, unloading, transferring or other processing of cargo;

(d) ground handling agencies located at an airport which perform, on behalf of the operator, the act of processing passengers;

(e) agencies not located at an airport, which perform on behalf of the operator, the act of checking in passengers;

(f) freight forwarders;

(g) agencies engaged in the security screening of passengers and their baggage, and cargo; and

(h) designated postal operator.

(2) Training shall be provided in the requirements commensurate with the responsibilities of the personnel being trained and such training shall include, ―

(a) general familiarization training aimed at providing familiarity with the general provisions;

(b) function-specific training providing detailed training in the requirements applicable to the function for which that person is responsible; and

(c) safety training covering the hazards presented by dangerous goods, safe handling and emergency response procedure:

Provided that the training for the staff of designated postal operator shall be commensurate with their responsibilities and the course content thereof shall be as provided in the Technical Instructions.

(3) A training programme established and maintained by an Indian operator, designated postal operator or by any other agency in India shall be subjected to review and approval of the Director General.

(4) The training programme established and maintained by a foreign operator for their own staff may be accepted as valid by the Director General on production of evidence that it has been approved by the regulatory authority of the State of the operator.

(5) An application for grant of approval under sub-rule (3) shall be made to the Director General in such form and contain such particulars or documents as may be specified by him along with the fee determined under these rules.

(6) The Director General or any other officer authorised in this behalf by the Central Government may, on being satisfied, grant approval to an organisation to establish or maintain the training programme.

(7) Unless suspended or cancelled, the approval granted under sub-rule (6) shall remain valid for a period not exceeding two years, which may be renewed for a period not exceeding two years at a time.

(8) The training records of the organisation shall be maintained in a manner specified by the Director General and shall be produced on demand to the Director General or any other officer authorised by him in this behalf.

17. Approved training organisation. — (1) The 'training organisation' refers to a legal entity who is engaged in conducting training on dangerous goods regulations for the personnel engaged by or the employees of the entities or agencies, as the case may be, involved in safe transport of dangerous goods by air to enable them to attain the competency commensurate with their responsibilities.

(2) A training organisation shall have the requisite infrastructure, adequate facilities, post holder and have arrangement for qualified manpower including instructor and assessor, as may be specified by the Director General.

(3) The instructor, assessor and post holder shall possess the qualifications and experience as specified by the Director General.

(4) Training organisation shall submit an application for approval to the Director General in such form and contain such particulars or documents as may be specified by him along with the fee determined under these rules.

(5) The Director General may, on being satisfied that all the requirements pertaining to the setting up of a training organisation have been complied with, grant an approval to the training organisation subject to such conditions as may be specified in the approval.

(6) The approval of training organisation shall, unless suspended or cancelled, remain valid for a period not exceeding four years, and on being satisfied, the Director General may renew the approval for a further period not exceeding four years at a time.

(7) The training organisation shall not impart training beyond their scope of approval unless their scope of approval is extended by the Director General.

(8) An application for grant of extension of scope of approval shall be made to the Director General in such form and contain such particulars or documents as may be specified by him along with the fee determined under these rules and the Director General on being satisfied that the specified requirements have been complied with, may grant approval for extension of scope, as deemed fit and any such extension shall only be valid up to the date of validity of the original approval.

(9) The training records of the organisation shall be maintained in a manner specified by the Director General and shall be produced on demand to the Director General or any other officer authorised by him in this behalf.

(10) An approved training organisation shall revise its manual from time to time whenever necessary for acceptance of the Director General in the manner and procedures as specified by him.

18. Responsible person to ensure compliance. — Every operator or person engaged in transportation of dangerous good by air to, from, within India or the training organisation approved under these rules shall designate a person, having qualifications as may be specified by the Director General, to ensure compliance of these rules.

19. Fee. — (1) The following fees shall be payable for, namely:

(a) The certification of operator for carriage of dangerous goods and renewal thereof under sub-rules (1) and (5) of rule 3, –

(i) for Scheduled operator: Rupees two Lakh for certification and rupees one lakh for renewal of certification

(ii) Other than Scheduled operator: Rupees one lakh for certification and rupees fifty thousand for renewal of certification

(b) Approval of the foreign operator for carriage of dangerous goods to, from India under sub-rule (1) and (5) of rule 3: Rupees two lakh for approval and rupees one lakh for renewal of approval

(c) Exemption in extreme emergency under proviso of sub-rule (2) of rule 3: Twenty-five thousand rupees per exemption

(d) Grant of approval for transportation of dangerous goods under sub-rule (3) of rule 3: Five thousand rupees

(e) (i) Grant of approval of training programme under sub-rule (6) of rule 16:

(a) fifty employees: Ten thousand rupees

(b) more than fifty and upto two hundred employees: Twenty-five thousand rupees

(c) more than 200 employees: Fifty thousand rupees

(ii) The fee for renewal of approval under sub-rule (6) of rule 16 shall be fifty per cent of the fee payable under sub-clause (i).

(f) Grant and renewal of approval of training organisation and acceptance of revision in manual under of rule 17:

i. for grant of approval of training organisation: One lakh rupees per station

ii. for acceptance of revision in manual: Twenty-five thousand rupees

iii. for renewal of approval of training organisation: Fifty thousand rupees per station

(g) Extension of scope under sub-rule (8) of rule 17: Fifty thousand Rupees per station

(2) The fee shall be paid electronically in the manner specified by the Director General.

20. Directions by Director General. — (1) The Director General may, through Aeronautical Information Circulars and publication entitled Civil Aviation Requirements, issue special directions, not inconsistent with the provisions of the Adhiniyam or these rules, relating to packing, marking, labelling, acceptance, handling, loading, unloading, storage, training and any other process or procedure connected directly or indirectly with the carriage of dangerous goods by air.

(2) The Civil Aviation Requirements under sub-rule (1) shall be issued after placing the draft on the website of the Directorate General of Civil Aviation for a period of thirty days for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby:

Provided that the Director General may, in public interest and by order in writing, dispense with the requirement of inviting such objections and suggestions.

(3) Every direction issued under sub-rule (1) shall be complied with by the person or persons to whom such direction is issued.

(4) The Director-General may, by general or special order in writing, exempt any aircraft or class of aircraft or any

person or class of persons from the operation of the directions given in the publication entitled Civil Aviation Requirements under this rule, either wholly or partially, subject to such conditions, if any, as may be specified in such order.

21. Cancellation or suspension of licence, certificate and approval. — Where the Director General or any officer authorised in this behalf by the Central Government, after giving an opportunity of being heard, is satisfied that any person has contravened or failed to comply with the provisions of these rules or any direction issued under rule 20, he may, for reasons to be recorded in writing, impose any restriction or suspend or cancel any licence, certificate or approval issued under these rules or the rules made under the Adhiniyam in this regard.

22. Appeals. — (1) Any person, aggrieved by an order passed by an officer in exercise of the powers conferred on him by these rules, may prefer an appeal in accordance with the provisions of the section 33 of the Adhiniyam.

(2) An appeal shall be made to the First Appellate Officer or Second Appellate Officer, as the case may be, in the Form A of the Schedule appended to these rules along with the supporting documents and fee of one thousand rupees in the manner as specified by the Director General.

(3) Such Appellate Officer may call for any information, record or any other document from the applicant, if the same is considered relevant to the appeal.

(4) The Appellate Officer may, after giving an opportunity of being heard to the appellant, pass a speaking order, as he thinks fit, confirming, modifying or setting aside the order appellate against.

(5) The copy of appellate order so passed by Appellate Officer shall be provided to the appellant as soon as practicable after passing of the order.

23. Offences. — Any person who contravenes any provisions of these rules shall be punishable in accordance with the sub-section (1) of the section 25 of the Adhiniyam.

24. Imposition of penalty. — (1) Any person who has contravened any rule as specified in Schedule of these rules, shall be liable to pay of penalty in accordance with the provisions of section 32 of the Adhiniyam.

(2) The penalty shall be adjudicated by the designated officers or the Appellate Officer, as the case may be, in accordance with the procedure as laid down in the said Schedule.

25. General power to exempt. —The Central Government may exempt any aircraft or class of aircraft or any person or class of persons from the operation of these rules, either wholly or partially, subject to such conditions; if any, in accordance with the provisions of section 20 of the Adhiniyam.

Schedule

(see rule 24)

Penalties

1. Classification of severity levels of contravention and penalty thereof: —

Table 1

SI. No.	Severity Level (in rupees)	Individual	Organisation (Small)	Organisation (Medium)	Organisation (Large)
			Up to fifty employees	More than fifty and up to one hundred employees	More than one hundred employees
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Level 1	Ten thousand	Fifty thousand	Seventy-five thousand	One lakh
2.	Level 2	Twenty thousand	One lakh	One lakh fifty thousand	Two lakh fifty thousand
3.	Level 3	Fifty thousand	Two lakh	Three lakh	Five lakh
4.	Level 4	Seventy-five thousand	Three lakh	Five lakh	Ten lakh
5.	Level 5	One lakh fifty thousand	Five lakh	Ten lakh	Twenty lakh
6.	Level 6	Three lakh	Seven lakh fifty thousand	Fifteen lakh	Thirty lakh
7.	Level 7	Five lakh	Ten lakh	Twenty-five lakh	Fifty lakh
8.	Level 8	Ten lakh	Twenty lakh	Thirty-five lakh	Seventy lakh
9.	Level 9	Twenty lakh	Thirty-five lakh	Fifty lakh	Eighty-five lakh
10.	Level 10	Twenty-five lakh	Fifty lakh	Seventy-five lakh	One crore

Note: — (1) "Individual" means a natural person.

(2) "Organisation" means a body corporate or an association of individuals whether registered or not.

(3) "Employee**"** means an individual appointed, employed or engaged by the organisation whether contractual, temporary or permanent.

2. Contravention of rule and severity level thereof, for determination of penalty amount by the designated officers or the appellate officer, as the case may be.

TABLE 2

SI. No.	Nature of contravention	Relevant rule (s)	Severity level of contravention/ violation/ non-compliance
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Non-compliance of sub-rule (1) of rule 3	Sub-rule (1) of rule 3	Level 10
2.	Contravention of sub-rule (2) of rule 3	Sub-rule (2) of rule 3	Up to level 8
3.	Non-compliance of sub-rule (6) of rule 3	Sub-rule (6) of rule 3	Level 9
4.	Non-compliance of sub-rule (8) of rule 3	Sub-rule (8) of rule 3	Level 5
5.	Non-compliance of rule 5	Rule 5	Level 6
6.	Non-compliance of sub-rule (1) of rule 6	Sub-rule (1) of rule 6	Level 6
7.	Non-compliance of sub-rule (2) of rule 6	Sub-rule (2) of rule 6	Level 5

8.	Non-compliance of sub-rule (3) of rule 6	Sub-rule (3) of rule 6	Level 6
9.	Non-compliance of sub-rule (4) of rule 6	Sub-rule (4) of rule 6	Level 4
10.	Non-compliance of sub-rule (5) of rule 6	Sub-rule (5) of rule 6	Level 6
11.	Non-compliance of sub-rule (6) of rule 6	Sub-rule (6) of rule 6	Level 6
12.	Non-compliance of sub-rule (7) of rule 6	Sub-rule (7) of rule 6	Level 7
13.	Non-compliance of sub-rule (8) of rule 6	Sub-rule (8) of rule 6	Level 6
14.	Contravention of sub-rule (9) of rule 6	Sub-rule (9) of rule 6	Level 8
15.	Non-compliance of rule 7	Rule 7	Level 4
16.	Non-compliance of sub-rule (1) of rule 8	Sub-rule (1) of rule 8	Level 5
17.	Non-compliance of sub-rule (2) of rule 8	Sub-rule (2) of rule 8	Level 5
18.	Contravention of sub-rule (1) of rule 9	Sub-rule (1) of rule 9	Level 8
19.	Contravention of sub-rule (2) of rule 9	Sub-rule (2) of rule 9	Level 5
20.	Non-compliance of sub-rule (3) of rule 9	Sub-rule (3) of rule 9	Level 6
21.	Contravention of sub-rule (1) of rule 10	Sub-rule (1) of rule 10	Up to level 8
22.	Non-compliance of sub-rule (2) of rule 10	Sub-rule (2) of rule 10	Level 2
23.	Non-compliance of sub-rule (3) of rule 10	Sub-rule (3) of rule 10	Level 5
24.	Non-compliance of sub-rule (4) of rule 10	Sub-rule (4) of rule 10	Level 6
25.	Non-compliance of sub-rule (5) of rule 10	Sub-rule (5) of rule 10	Level 5
26.	Non-compliance of sub-rule (6) of rule 10	Sub-rule (6) of rule 10	Level 7
27.	Non-compliance of sub-rule (7) of rule 10	Sub-rule (7) of rule 10	Level 5
28.	Contravention of sub-rule (8) of rule 10	Sub-rule (8) of rule 10	Up to Level 6
29.	Non-compliance of sub-rule (9) of rule 10	Sub-rule (9) of rule 10	Level 6
30.	Non-compliance of sub-rule (10) of rule 10	Sub-rule (10) of rule 10	Level 8
31.	Non-compliance of sub-rule (11) of rule 10	Sub-rule (11) of rule 10	Level 6
32.	Non-compliance of sub-rule (12) of rule 10	Sub-rule (12) of rule 10	Level 7
33.	Non-compliance of sub-rule (13) of rule 10	Sub-rule (13) of rule 10	Level 8
34.	Non-compliance of sub-rule (14) of rule 10	Sub-rule (14) of rule 10	Up to level 6
35.	Non-compliance of sub-rule (15) of rule 10	Sub-rule (15) of rule 10	Level 6
36.	Non-compliance of sub-rule (1) of rule 11	Sub-rule (1) of rule 11	Level 4
37.	Non-compliance of sub-rule (1) of rule 12	Sub-rule (1) of rule 12	Level 7
38.	Non-compliance of sub-rule (2) of rule 12	Sub-rule (2) of rule 12	Level 6
39.	Non-compliance of sub-rule (3) of rule 12	Sub-rule (3) of rule 12	Level 6
40.	Non-compliance of sub-rule (4) of rule 12	Sub-rule (4) of rule 12	Level 6
41.	Non-compliance of sub-rule (5) of rule 12	Sub-rule (5) of rule 12	Level 4
42.	Non-compliance of sub-rule (6) of rule 12	Sub-rule (6) of rule 12	Level 5
43.	Non-compliance of sub-rule (7) of rule 12	Sub-rule (7) of rule 12	Level 5
44.	Non-compliance of sub-rule (2) of rule 13	Sub-rule (2) of rule 13	Up to Level 6
45.	Non-compliance of sub-rule (1) of rule 14	Sub-rule (1) of rule 14	Level 4
46.	Non-compliance of sub-rule (2) of rule 14	Sub-rule (2) of rule 14	Level 2
47.	Contravention of sub-rule (1) of rule 15	Sub-rule (1) of rule 15	Level 1
48.	Non-compliance of sub-rule (2) of rule 15	Sub-rule (2) of rule 15	Level 2
49.	Non-compliance of sub-rule (1) of rule 16	Sub-rule (1) of rule 16	Level 1
50.	Non-compliance of sub-rule (8) of rule 16	Sub-rule (8) of rule 16	Level 2
51.	Non-compliance of sub-rule (2) of rule 17	Sub-rule (2) of rule 17	Level 4
52.	Non-compliance of sub-rule (7) of rule 17	Sub-rule (7) of rule 17	Level 3
53.	Non-compliance of sub-rule (9) of rule 17	Sub-rule (9) of rule 17	Level 3
54.	Non-compliance of sub-rule (10) of rule 17	Sub-rule (10) of rule 17	Level 2
55.	Non-compliance of rule 18	Rule 18	Level 2
56.	Non-compliance with directions issued under rule 20	Sub-rule (3) of rule 20	Up to Level 6. In case Penalty has already been provided in any

			rule for the same contravention, then, the penalty as provided for that rule shall prevail.

3. Procedure for adjudication of penalty by designated or appellate officers, –

(a) The designated officer upon his satisfaction that a person has contravened any of the rule as specified in the Table 2 under paragraph 2 above, he may, after giving a reasonable opportunity of being heard to such person, by an order in writing, impose penalty in accordance with Tables 1 and 2 under paragraphs 1 and 2 respectively, upon such person, stating the nature of contravention, the provision of rules which have been contravened and the reasons for imposing such penalty along with the demand notice.

(b) The designated officer shall not proceed for imposition of penalty against a person, where it comes to his notice that an action under the Adhiniyam and these rules has been initiated for contravention of same rule on same cause of action.

(c) A copy of penalty order passed along with the demand notice by the designated officer shall be served upon such person by a recognised mode of service.

(d) The person aggrieved by the order issued under clause (a), may prefer appeal in accordance with the provisions of rule 21 of these rules.

(e) The copy of appellate order passed by appellate officer shall be provided to the appellant and the concerned designated officer.

(f) The designated officer, within thirty days from the date of the receipt of such final order passed by the appellate officer, shall grant the effect to the order by issuing a revised demand notice to the person against whom the order has been passed for the amount of penalty imposed in the order.

(h) The penalty thus imposed shall be paid electronically by such person in the manner as laid down by the Director-General within thirty days of the service of demand notice upon the person.

(i) In case the person on whom the penalty is imposed, fails to pay such amount of penalty within the time as stipulated in demand notice, then, the proceeding for cancellation or suspension of any licence, certificate, authorisation, permit or approval, may be initiated under these rules or the rules made under the Adhiniyam in this regard.

FORM A **(*see rule 22*)** **Form of appeal (First/Second) to the Appellate Officer**		
1.	Name(s) of the Appellant	
2.	Address	
3.	Email Address	
4.	Phone No.	
5.	Order No. with Date, against which the appeal is preferred (copy of the order to be enclosed)	
6.	Name and Post of the officer by whom the order is passed	
7.	Contravention of rules for which order was passed	
8.	Operative part of order	
9.	Date on which the copy of order received by the appellant	
10.	Date of completion of 30 days Limitation period	
11.	Brief facts of the case	
12.	Grounds of Appeal	
13.	Prayer of the Appellant	
14.	Fee and transaction details	
15.	Other details with supporting documents, if any	

Verification

I_____, the appellant, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.

Name and Signature of the Appellant

Date:

Place:

[F. No. AV-11012/4/2025-DG Section-MoCA]

SHOBHIT GUPTA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.02.20 12:08:50 +05'30'